



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए “केंद्रित” “CENTRAL” TO YOU SINCE 1911

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
Abridged Annual Report
2017-18

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र

CENTRAL BANK OF INDIA

Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



<p>निदेशक मंडल श्री तपन रे (दिनांक 23.05.2018 से) श्री राजीव ऋषि श्री बी. के. दिवाकर श्री पी. आर. मूर्ती श्री. बी. एस. शेखावत डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (दिनांक 14.05.2018 से) श्री शेखर भटनागर श्री केतुल आर. पटेल श्री एन. नित्यानंद प्रो. (डॉ.) आत्मानंद</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS SHRI TAPAN RAY (w.e.f. 23.05.2018) SHRI RAJEEV RISHI SHRI B. K. DIVAKARA SHRI P. R. MURTHY SHRI B. S. SHEKHAWAT DR. BHUSHAN KUMAR SINHA (w.e.f. 14.05.2018) SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI KETUL R. PATEL SHRI N. NITYANANDA PROF. (Dr.) ATMANAND</p>
<p>लेखा परीक्षक मे. लोढ़ा एण्ड कंपनी मे. पाठक एच. डी. एण्ड एसोशिएट्स मे. एस. के. मेहता एण्ड कं. मे. बोरकर एण्ड मुजुमदार</p>	<p>AUDITORS M/s. Lodha & Co. M/s. Pathak H. D. & Associates M/s. S. K. Mehta & Co. M/s. Borkar & Muzumdar</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>



अनुक्रमणिका / INDEX

विषय सूची / Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
अध्यक्ष का संदेश	2
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	3
निदेशक मंडल / Board of Directors	5
सूचना	7
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	29
निदेशक रिपोर्ट 2017-18	30
प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	35
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	41
सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	50
दिनांक 31 मार्च, 2018 का संक्षिप्त तुलन पत्र	53
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ व हानि खाता	55
संक्षिप्त विवरणियों पर टिप्पणियां	57
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	58
दिनांक 31 मार्च, 2018 का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र	63
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त समेकित लाभ व हानि खाता	65
दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी	67
प्रॉक्सी फार्म	69
CHAIRMAN's MESSAGE	73
MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER's MESSAGE	74
Notice	76
Performance Highlights	98
Director's Report 2017-18	99
Management Discussion & Analysis	104
Corporate Governance	109
Auditors' Report to the Members	117
Abridged Balance Sheet as at 31 March, 2018	120
Abridged Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2018	122
Notes to Abridged Financial Statements	124
Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2018	125
Abridged Consolidated Balance Sheet as at 31 March, 2018	130
Abridged Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31 March, 2018	132
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2018	134
Proxy Form	136
Attendance Slip / Entry Pass	141



अध्यक्ष का संदेश

प्रिय स्टैकहोल्डर्स,

मुझे खुशी है कि मैंने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से इस बैंक में कार्य ग्रहण किया है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए यकीनन यह चुनौतीपूर्ण समय है। दी गई चुनौतियों के बावजूद, हमारा बैंक अनुपालन एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोत्तम कॉर्पोरेट गवर्नंस संव्यवहार को अपनाते हुए अपने शेयर होल्डर्सों के शेयर मूल्यों के संवर्धन के लिए महत्तम प्रयास जारी रखेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के सरकारी लक्ष्य के अनुरूप अंतिम छोर के ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं। इस संबंध में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपने सभी स्टैक धारकों हेतु सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की कोपलों का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अवश्य होगा। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, विशेष तौर पर यूएस, तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय विकास का साक्षी रहा है, जिसकी वजह से यूएस फेड को मुद्रा नीति को कठोर बनाने का सहारा लेना पड़ा। कच्चे तेल के दामों में हाल ही में आए उछाल की वजह से तेल निर्यातक देश फायदे में रहेंगे। भारत की विकास की गति को ये बाह्य कारक निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। भारत में, वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में कृषि, निर्माण कार्य एवं विनिर्माण क्षेत्रों के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति के कारण विकास की रफ्तार में तेजी आई है। तथापि, हाल ही के महीनों में रुपए पर बढ़ता दबाव परिलक्षित हुआ है। कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों का चालू खाता घाटे पर दबाव पड़ेगा उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव होगा। तथापि, सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सुधारात्मक उपाय अर्थव्यवस्था को स्वयं-सिद्ध प्रगति पथ पर ले जाएंगे।

बैंकिंग उद्योग गैर-निष्पादक आस्तियों से निपटने की एक अहम चुनौती से जूझ रहा है। मुझे आशा है कि दिवाला तथा दिवालियापन कोड अधिनियमन जैसे नये सुधारों की वजह से वर्तमान वर्ष में एनपीए की वसूली एवं समाधान के संदर्भ में बैंकिंग उद्योग बेहतर स्थिति में रहेंगे। हमें समुचित सावधानी बरतते हुए इन मुद्दों का निराकरण करना होगा। बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे बैंक ने अन्य कार्यक्षेत्रों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन, ऋण, ट्रेजरी, आईटी इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों में %ान तथा कौशलवर्धन पर विशेष जोर देना जारी रखा है। विश्लेषणात्मक अध्ययन के उपयोग से बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध आंकड़ों का समुचित विश्लेषण करने में मदद मिलेगी, जो उत्पाद नवोन्मेषन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए इष्टतम समाधान सुनिश्चित करेगा। हमारे बैंक द्वारा अपने कारोबार में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्ततः, किसी संस्था की सफलता में मानव संसाधन एवं इसके योगदान के महत्त्व को भी हमारे बैंक ने भली-भांति समझा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मोर्चों पर अपने प्रयासों को दुगुना करते हुए इन चुनौतियों का मुकाबला करने में अवश्य सफल होंगे।

शुभकामनाओं सहित,


आपका,

हस्ता/-

तपन रे

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 मई, 2018



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरहोल्डर,

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य में परिलक्षित चुनौतियों को बैंकों ने भी इस वर्ष महसूस किया है। तथापि, आर्थिक परिदृश्य में हाल में दृष्टिगोचर सकारात्मक बदलावों ने हमें आशान्वित भी किया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017 में इस की दर 3.8% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 3.2% थी तथा ऐसी आशा है कि उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से यह वृद्धि दर वर्ष 2018 में भी बनी रहेगी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2017 में वृद्धि दर 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 में यह दर 1.7% थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत; यू.एस. की वृद्धि दर वर्ष 2017 में 2.3% रही, जबकि वर्ष 2016 यह दर 1.5% थी। यू.एस. में समग्र पैरामीटरों में वृहद आधार पर बेहतर परिलक्षित हुई। यू.एस. में वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति बढ़ी तथा यह 2.1% के स्तर तक पहुंच गयी। यू.एस. फेड ने क्रमिक दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नीति चक्र को कठोर बनाए रखा। यूरो के क्षेत्र में; वर्ष 2017 में वास्तविक जी.डी.पी. में 2.3% की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में, वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2017 में सकल पूंजी निगमन तथा औद्योगिक उत्पाद, दोनों में ही वृद्धि हुई।

2रे अग्रिम राष्ट्रीय आय अनुमान 2017-18 के अनुसार; वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि वर्ष 2017-18 में सामान्य दर 6.6% पर रहेगी, जबकि वर्ष 2016-17 में यह 7.1% थी। तथापि, तिमाही आकड़ों ने यह दर्शाया है कि हाल ही में अपनाये गये कुछ सुधारात्मक कार्रवाइयों के अस्थायी प्रभाव से उभरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ गई है। वित्तीय वर्ष 2018 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान जी.डी.पी. वृद्धि में बढ़ती प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में जी.डी.पी. 7.2% की उल्लेखनीय दर से बढ़ी, जबकि वित्तीय वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में यह दर 6.5% थी। वित्तीय वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में मूल्यवर्धित कृषि में 4.1% तथा विनिर्माण में 8.1% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत; व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार एवं सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 में 9% की वृद्धि हुई।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) ने अगस्त 2017 में बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार बिंदु की कटौती करते हुए, इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया है। एम.पी.सी. ने अक्टूबर 2017 में सांविधिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) में कटौती करते हुए इसे 20% से घटाकर 19.5% कर दिया।

नोटबंदी के बाद बैंकिंग उद्योग में ऋण वृद्धि की दर क्रमिक रूप से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण एवं जमा के अनुपात में भी बेहतर दिखायी दी। तथापि, दबावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन-पत्रों ने वांछित स्तर तक ऋण वृद्धि को पहुंचने नहीं दिया। पूरे बैंकिंग उद्योग में आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कई बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा, ताकि कुछ जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचा जा सके और उनके तुलन-पत्र को मजबूत करने के लिए पूंजी संरक्षित रहे। सरकार द्वारा बैंकों की पुनर्पूँजीकरण योजना की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है, जिसके माध्यम से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पर्याप्त पूंजी प्रदान की जायेगी। अक्टूबर 2017 में सरकार ने रुपये 2.11 लाख करोड़ पुनर्पूँजीकरण की घोषणा की, जिनमें रुपये 1.35 लाख करोड़ पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे।

अब मैं आपको, आपके बैंक के इस वर्ष के कार्यानिष्ठादन के बारे में बताना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमारे बैंक का व्यवसाय रुपये 4,72,323 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 4,49,679 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारे बैंक की जमा रुपये 2,94,839 करोड़ थी। कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी 42.46% रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह हिस्सेदारी 39.20% थी। 31 मार्च, 2018 को उच्च लागत जमाओं में 93.64% की उल्लेखनीय कमी के साथ यह राशि रुपये 850 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 13,356 करोड़ थी। दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल कोर जमा 3.77% की वृद्धि के साथ रुपये 2,93,989 करोड़ रही, जबकि 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2,83,315 करोड़ थी।



पिछले कुछ वर्षों में आस्ति गुणवत्ता हमारे बैंक के लिए मुख्य चिंता का कारण बनी हुई है। सकल एनपीए और सकल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 21.48% हो गया है, जो 31 मार्च, 2017 को 17.81% था। निवल एनपीए और निवल अग्रिम का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़कर 11.10% हो गया, जो 31 मार्च, 2017 को 10.20% था। प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31 मार्च, 2018 को सुधार के साथ 63.31% रहा, जो 31 मार्च, 2017 को 58.43% था।

हमारा फोकस सतत रूप से वसूली पर बने रहने के कारण वर्ष के दौरान परिणाम अच्छे रहे। दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ोतरी के साथ नकदी वसूली रुपये 2403 करोड़ हुई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह राशि रुपये 2378 करोड़ थी, जो 1.05% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान आय.बी.सी. के अंतर्गत एन.सी.एल.टी. के माध्यम से कुछ बड़े एन.पी.ए. खातों में समाधान होने की प्रत्याक्षा है। वर्ष 2018-19 के दौरान एन.पी.ए. वसूली को बढ़ाने तथा नई स्लिपेज को रोकने के लिए हमारा बैंक कारगर कदम उठाना जारी रखेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारे बैंक की जमा लागत घटकर 5.53% हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 6.20% थी बैंक की निवल ब्याज आय घटकर रुपये 6517 करोड़ हो गयी, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 6574 करोड़ थी। हमारे बैंक की गैर ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 2623 करोड़ रही, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह रुपये 2876 करोड़ थी।

हमारे बैंक का परिचालन लाभ रुपये 2733 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रुपये 3089 करोड़ था। तथापि, बैंक ने कुल रुपये 5105 करोड़ की निवल हानि दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि रुपये 2439 करोड़ थी, इसकी मुख्य वजह उच्चतर एन.पी.ए. प्रावधान, उच्चतर स्लिपेज/ऋणावधि तथा एन.सी.एल.टी. खातों में अतिरिक्त प्रावधान, निवेशों पर ट्रेडिंग लाभ में भारी कमी इत्यादि रही।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक में कुल 4685 शाखाओं का नेटवर्क, 4886 एटीएम, 10 सेटलाइट ऑफिस तथा 1 एक्सटेंशन काउंटर है। हमारा बैंक अखिल भारतीय स्तर पर व्याप्त है, जो 29 राज्यों, 6 में से 5 संघ शासित राज्यों तथा एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों और 707 में से 626 जिलों में स्थित है, जो कि बैंक की शक्ति का मुख्य स्तोत्र है। अपनी शाखाओं की व्यापक कवरेज की वजह से हमारे बैंक की छवि एक रिटेल बैंक के रूप में बनी रही, जिसका विशेष फोकस रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई व्यवसाय पर है।

मुझे बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई


दिनांक : 25 मई, 2018

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री तपन रे
Shri TAPAN RAY

अध्यक्ष
Chairman



श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री बी. के. दिवाकर
Shri B. K. DIVAKARA

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री पी. आर. मूर्ती
Shri P. R. MURTHY

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री बी. एस. शेखावत
Shri B. S. SHEKHAWAT

कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / Contd...)



श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR

निदेशक
Director



डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA

निदेशक
Director



श्री केतुल आर. पटेल
Shri KETUL R. PATEL

निदेशक
Director



श्री एन. नित्यानंद
Shri N. NITYANANDA

निदेशक
Director



प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
Prof. (Dr.) ATMANAND

निदेशक
Director



सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार दिनांक 30 जून, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

- 1) दिनांक 31 मार्च 2018 का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।
- 2) एफपीओ / राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 8000/- करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों, जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात्, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम,



1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ("सक्षम प्राधिकारी" के तौर पर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन कहा गया है") निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हतापत्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.
- बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रृंखला, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों, विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(कों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/



अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/ वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.”

- 3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसको इसके पश्चात “अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके पश्चात “योजना” कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात “विनियम” कहा जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिसे इसके पश्चात “आरबीआई अधिसूचना” कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पास कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के एक निदेशक का चुनाव करना.

यह संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक, जो एतद् द्वारा चुने गए हैं / चुनी गई हैं, उनके चुने जाने / चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए / गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 25.05.2018

हस्त/-
(आनंद कुमार दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है.

2. विनिर्दिष्ट तारीख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2018 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है.



3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए।

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए।

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 27 जून (बुधवार), 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 (शनिवार) (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद रहेगी।

8. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा।

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं।

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करनी वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं, जैसे - क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

तदुपरा, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें।

- बैंक का नाम
- शाखा का पता



- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरी के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

1. सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- (i) वोटिंग समयावधि बुधवार दिनांक 27 जून 2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ हो कर शुक्रवार दिनांक 29 जून 2018 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान सोमवार दिनांक 25 जून 2018 की कट ऑफ तारीख को एजेंडा नं. 3 के अतिरिक्त जिसके लिए कटआफ तारीख मंगलवार 29 मई, 2018 है. बैंक के शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं. वोटिंग के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- (ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
- (iv) अब अपना यूजर आईडी डालें



- ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी
बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी
सी. भौतिक स्वरूप में शोयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.

- (v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.
(vi) यदि आपके पास शोयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है, तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.
(vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं, तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शोयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय एल्फान्यूमेरिक *पैन एंटर करें. (डीमेट शोयरधारकों के साथ साथ भौतिक शोयरधारकों दोनों के लिए लागू) वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस पर चिपकाए गए पते के स्टीकर पर छपे हुए सीक्वेंस नंबर पैन फील्ड में उल्लिखित स्थान पर प्रयोग करें,
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए कृपया जन्म तिथि (डीओबी) अथवा लाभांश बैंक विवरण एंटर करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

- (viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, “सबमिट” टेब पर क्लिक करें.
(ix) तब ऐसे शोयरधारक, जिनके शोयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शोयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे “पासवर्ड क्रिएशन” मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पासवर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शोयर धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में यदि मतदान के लिए पात्र हों, तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी वरतें.
(x) भौतिक स्वरूप में शोयर धारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई- वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.
(xi) कृपया सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिस पर आप वोट करना चाहते हैं.
(xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.
(xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो ‘रिजोल्यूशंस फाइल’ लिंक पर क्लिक करें.
(xiv) ‘रिजोल्यूशन’ का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, “सबमिट” पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओके” पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु “कैसिल” पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
(xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट ‘कन्फर्म’ करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.
(xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर “प्रिन्ट करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.
(xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर “फॉरगॉट पासवर्ड” पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.
(xviii) शोयर धारक एड्रॉयड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल मोबाइल एप्प एम-वोटिंग उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं. यह एम-वोटिंग एप्प गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप्प स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से यह एप्प डाउनलोड कर सकते हैं. कृपया अपने मोबाइल से वोटिंग करते समय मोबाइल एप्प द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करें.



(xix) गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग-इन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
- पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
- बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.

(xx) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत पर उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.

- II कट-ऑफ तारीख दिनांक 25 जून 2018 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरोंधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्मोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 25 जून, 2018 को एजीएम में रिमोट ई- वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.
- IV कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 25 जून, 2018 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है
- V. इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है
- VI. ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कोर्पोरेट लिगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में मतों के अनब्लॉक करने ई-वोटिंग करने की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर होंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरुद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.
- VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प पारित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/ राइट / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सामान्य इक्विटी टियर - 1 (सीईटी - 1) अनुपात न्यूनतम 5.50% एवं इक्विटी पूंजी (सीसीबी) के रूप में 2.50% की पूंजी संरक्षण टियर 1+सीसीबी अनुपात 9.50% एवं समग्र सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है.

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने रु. 8000 करोड़ (रुपये आठ हजार करोड़ मात्र) तक की इक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, इक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात् अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है.

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार इक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है. इक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे, तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा.

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार इक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- इक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात् आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है.
- चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है. तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों.
- पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा.
- प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबन्धकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे.
- प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाना गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी.
- आबंटित इक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.



व्याख्यात्मक विवरणी

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- निदेशकों को चुनने में शेयरधारकों का अधिकार

बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों की शेयर धारिता 13.60% है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) का प्रतिनिधित्व करते एक निदेशक शामिल होंगे। तदनुसार उपर्युक्त पद को भरने के लिए केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक का चुनाव करना आवश्यक है।

अतः, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निदेशक के चुनाव कराए जाने का संकल्प पास करने के लिए एजीएम के नोटिस की कार्यसूची में एक मद जोड़ी गई है।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त) अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना विनियम, अधिसूचना के तत्संबंधी प्रावधान जो नीचे निर्देशित हैं, में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए पात्र हैं। एक निदेशक का चुनाव नामांकन की जांच (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्त पद के समान हो) अथवा यदि प्रतिभागी अधिक हों तो दिनांक 30 जून, 2018 को होने वाले चुनाव में चुने जाएंगे। चुने गए निदेशक को उनके चुने जाने अथवा चुने हुए माने जाने की तारीख की अगली तारीख से उनका कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे।

- विधिक प्रावधान

निम्नलिखित सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं की प्रावधानों को परिलक्षित करती है:

अधिनियम योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949	धारा 20	• किसी भी निदेशक अथवा इनकी ओर से किसी को भी ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध.
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3(2ई)	• वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध.
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की संख्या.
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी)	• विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष ज्ञान.
	धारा 9(3एए)	• कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह फिट एवं ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर ईमानदारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार उपयुक्त स्थिति में न हो.
	धारा 9(3एबी)	• भारतीय रिजर्व बैंक ने उप धारा(3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में किसी के फिट एवं उचित स्थिति का आकलन करने हेतु प्राधिकार, इस आकलन को करने का तरीका, इस आकलन के लिए अनुसरण की जाने वाली पद्धति एवं अन्य सभी मामले जो भी इसके लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक हों को उल्लेखित किया है.
	धारा 9(3बी)	
धारा 13(2)	• चुने गये ऐसे निदेशक को, जो कथित अधिनियम की धारा 9(3ए) एवं 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण न करता हो, को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक अधिकार प्रदान करती है. • विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता.	
राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4)	• चुने गये निदेशक के पद कार्यालय की शर्तें
	खंड 10	• बैंक के निदेशक चुने जाने से निरहता.
	खंड 11	• निदेशक के कार्यालय को छोड़ना.
	खंड 11ए	• चुने गये निदेशक को पद मुक्त करना.
	खंड 11 बी	• चुने गये निदेशक के कार्यालय में सामान्य पद को भरना.
	खंड 12(8)	• कुछ व्यवस्थाओं में जिसमें निरीक्षक की रूचि हो, उनमें उनके हितों का प्रकटीकरण.



अधिनियम योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
सेन्ट्रल बैंक इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग.
	विनियम 61	• साधारण बैठक में मतदान
	विनियम 63	• साधारण बैठक में निदेशकों का चयन
	विनियम 64	• शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	• चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन
	विनियम 66	• नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 67	• चुनाव विवाद
	विनियम 68	• मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियम 70	• प्रॉक्सी
भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011.	बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9(3ए) एवं खंड 9 (3एबी) के अनुसरण में.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के चयनित निदेशकों हेतु 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड.

• वेबसाइट पर दिए गए अधिनियमों / योजनाओं / विनियमों / अधिसूचनाओं का सारांश

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना, अधिनियम के सारांश सहित भारिबैं की दिनांक 1 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 46 एवं 47 /2939.001/2007-08 एवं दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11, हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध होगी. ये सारांश बैंक के प्रधान कार्यालय चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 में स्थित सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सेक्रेटरी को सम्बोधित अनुरोध पर नामांकन प्रारूप को प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 15 जून, दिन शुक्रवार, 2018 को अथवा इससे पूर्व ई-मेल भी किया जाएगा.

• अभ्यर्थी हेतु योग्यताएं

अभ्यर्थी अधिनियम की धारा 9 (3ए) में वर्णित योग्यताओं का अनुपालन करेंगे और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रसित न हों और विनियम के विनियम 65 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(ए) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक होते हुए एक अभ्यर्थी जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है तो उसे -

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, -

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

बैंकिंग,

सहकारिता,

अर्थव्यवस्था,

वित्त,

विधि,

लघु उद्योग,

किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान, एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो;

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) कृषकों, कामगारों, कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

(बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारिबैं के अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो बैंक के निदेशक का नामांकन करते समय ट्रैक रिकार्ड के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित', सत्यनिष्ठा और भारिबैं द्वारा समय समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों को पूरा करता हो।

(सी) इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करना होगा और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा।

• **बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के उपरांत अयोग्यताएं**

(ए) बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक निदेशक के रूप में नियुक्ति एवं निदेशक होने के लिए अयोग्य हो जाता है जब वह -

(ए) यदि वह कभी किसी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित हुआ हो अथवा लेनदारों के साथ यौगिक हो; अथवा

(बी) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि वह फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो; अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सादृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो. और

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 की के अनुसार, यदि वह बैंक की निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है उसका नामांकन वैध नहीं माना जाएगा.

• **प्रतियोगियों के लिए शेयरधारकों की सूची**

मंगलवार, दिनांक 29 मई 2018 को बैंक के शेयरधारकों की सूची दिनांक शनिवार, 2 जून 2018 को/से "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" मुम्बई के पक्ष में देय ₹ 50,000 (पचास हजार रूपए मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ सहायक महाप्रबन्धक, एमबीडी/कम्पनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को सम्बोधित आवेदन प्रस्तुत करने पर बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगी. इच्छुक अभ्यर्थी शेयरधारकों की सूची की जांच कर सकते हैं एवं उससे कुछ अंश निकाल भी सकते हैं.

• **शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण**

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में निरीक्षण हेतु सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा (दूसरे एवं चौथे शनिवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर). यदि कोई भी शेयरधारक इसकी प्रति अथवा रजिस्टर का कम्प्यूटर प्रिंट अथवा उसका कोई भाग प्राप्त करना चाहता है तो प्रति 1000 शब्द अथवा उसके किसी भाग के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर यह उपलब्ध कराया जाएगा.

• **चुनाव में भागीदारी**

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम दिनांक 29 मई, 2018 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार सदस्य /लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, वे सभी केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र होंगे.

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो दिनांक 29 मई, 2018 के साधारण बैठक से पूर्व के विनिर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ के प्रदर्शन से एक वोट एवं मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रति शेयर हेतु एक वोट दे सकेगा.

• **नामांकन :**

नामांकनों की वैधता

विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना - डीबीओडी.सं. बीसी.सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के अनुसार एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्ते :

(ए) वह, चुनाव में भाग लेने हेतु विनिर्दिष्ट तारीख मंगलवार, 29 मई, 2018 को बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो;

(बी) शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 2018 को (नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि), वह अधिनियम, योजना अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो;



- (सी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो, तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सेक्रेटरी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को सम्बोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.
- (डी) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ अभ्यर्थी का इस आशय का घोषणापत्र इस नोटिस में दिए गए घोषणा एवं नामांकन के प्रारूपों के नमूने के अनुसार किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासन (एश्युरेंस) रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकृत करता है और चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है, एवं वह निदेशक के रूप में नामांकन हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अथवा किसी अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियम अथवा भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, के साथ विधिवत हस्ताक्षरित उसका व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) और यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा.
- (ई) नामांकन प्रारूप एवं घोषणापत्र, विनियम द्वारा यथानिर्धारित संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.)

नामांकन प्रारूपों की प्रस्तुति

निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रतिभागी निम्नलिखित प्रस्तुत करें :

(ए) विधिवत भरा हुआ घोषणापत्र;

(बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;

(सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचनाएं, घोषणापत्र एवं वचन पत्र, संबंधित दस्तावेजों, अनुशंसा पत्र, अर्थात् बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव इत्यादि के साथ हर प्रकार से पूर्ण सभी दस्तावेज मुहरबन्द लिफाफे में सहायक महाप्रबन्धक- एमबीडी एवं कम्पनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021 को बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस अर्थात् शुक्रवार, 15 जून, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत किए जायं.

• निदेशकों का चुनाव एवं दस्तावेजों की संवीक्षा

ए) नामांकनों की संवीक्षा, नामांकन की प्राप्ति हेतु नियत तिथि के अगले कार्यदिवस अर्थात् सोमवार, 18 जून, 2018 को की जाएगी एवं किसी नामांकन के वैध न पाए जाने के मामले में उसकी निरस्तगी के कारणों को दर्ज करते हुए उसे निरस्त कर दिया जाएगा.

बी) नामांकनों की संवीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं दिनांक 23 मई, 2011 के 'उपयुक्त एवं यथोचित' दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति की संवीक्षा के अधीन होंगे.

सी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए सिर्फ एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है, तो इस प्रकार नामांकित अभ्यर्थी को चुना हुआ मान लिया जाएगा और इस प्रकार चुने जाने पर उनके नाम एवं पते प्रकाशित किए जाएंगे. ऐसी स्थिति में इस उद्देश्य हेतु आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा. निर्वाचित अभ्यर्थी उनके निर्वाचित घोषित होने की तारीख से अगली तारीख को पदभार ग्रहण करेंगे.

डी) चुनाव होने की स्थिति में यदि वैध नामांकन एक से अधिक हो तो चुनाव में बहुमत प्राप्त अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा और उसके नामों की घोषणा एजीएम के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उन्हें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा. वे दिनांक 1 जुलाई, 2018 से पदभार ग्रहण करेंगे..

ई) कोई भी विवाद होने पर उसे विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा.

नामांकनों का वापस लिया जाना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2018 को कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व तक किसी भी समय नामांकन वापस लेने का पात्र होगा.

निदेशकों के हित

बैंक के निदेशकों का कारोबार के उपर्युक्त मद्दों से संबद्ध अथवा उनमें रुचि होना समझा जाएगा, यदि वे चुनाव लड़ते हैं.

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुम्बई

दिनांक 25.05.2018

आनंद कुमार दास

सहायक महा प्रबंधक - एमबीडी/कम्पनी सचिव



घोषणा पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा)

(विनियम के नियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/ पत्नी
श्री/श्रीमती _____, निवास स्थान _____

एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

- ए. मैं, चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित तिथि शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रु. 10 /- प्रत्येक के _____ (पूर्ण प्रदत्त) फोलियों सं. _____/डीपी आईडी सं. _____/ग्राहक आईडी सं. _____ के अंतर्गत शेरधारक हूँ. एवं
- बी. मुझे * (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त व्यवस्था, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, अथवा _____ (भा.रि.बैं. की राय में जिसका विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए उपयोगी रहेगा) एवं मैं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के अनुरूप जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिनके प्रमाण स्वरूप मैं यहां आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ; एवं
- सी) मैं से संख्या तक के नामांकन स्वीकार करता /करती हूँ. एवं
- डी) मैं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव को लड़ने के लिए इच्छुक हूँ, एवं
- ई) मैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों, बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंक राष्ट्रीयकरण (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998 एवं भारिबैं अधिसूचना के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के अयोग्य नहीं हूँ एवं
- एफ) मैं, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक का न ही कर्मचारी हूँ, न ही कोई लाभ का पद धारण करता हूँ.
- जी) मैं अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है; एवं
- एच) यह पुष्टिकरण कि उक्त विवरण उसकी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है एवं यह वचन भी कि उसकी घोषणा के पश्चात इन सूचनाओं से संबंधित कुछ भी घटित होने पर वह यथासम्भव शीघ्र बैंक को अवगत कराएगा एवं बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने पर मैं सहमति विलेख को निष्पादित करूंगा.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियों सं. (यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणाएं मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई हैं

हस्ताक्षर एवं मुहर _____

प्रमाणनकर्ता अधिकारी का नाम _____

नामिती द्वारा यह घोषणापत्र किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासन पंजीयक अथवा उप पंजीयक, अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाय.

* जो भी लागू हों, उस पर निशान लगाएं.



नामांकन प्रारूप

(शेयरधारक के लिए)

(विनियम के नियम 65 (डी) का सन्दर्भ)

क्रम सं.

प्रति,

अध्यक्ष

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय,

चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट,

मुम्बई - 400021

महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके नोटिस दिनांक 25.05.2018 के सन्दर्भ में मैं, श्री/श्रीमती _____

चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, दिनांक 29 मई, 2018 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रति शेयर रु. 10 (पूर्णतः प्रदत्त) के _____ शेयरों का/की शेयरधारक हूँ, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____

पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती _____ निवास _____

_____ बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970, की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के अनुसार शनिवार दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में, बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक चयनित होने के लिए नामांकित करता /करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियों सं. (यदि डी-मैट न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि डी-मैट न हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट्स :

1. किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन प्रारूप के साथ उस बैठक, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा इस हेतु संकल्प पारित किया गया हो, के अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति भी प्रस्तुत की जाय.
2. अभ्यर्थी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों के साथ मिलने चाहिए.
3. उपर्युक्त किसी कॉलम के खाली छोड़े जाने अथवा उसमें कोई विवरण असत्य पाए जाने पर नामांकन निरस्त होने योग्य होगा.



यहां अपना स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं

व्यक्तिगत सूचना, घोषणापत्र एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र के 2018 के अनुरूप संलग्नक	
I.	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण
1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
2.	पिता का पूरा नाम
3.	जन्म तिथि
4.	राष्ट्रीयता
5.	1. स्थाई खाता सं. (आयकर अधिनियम के अंतर्गत) 2. आय कर सर्कल/डिवीजन का नाम एवं पता जहां पर व्यक्तिगत कर प्राप्तियां जमा होती हैं.
6.	स्थायी पता
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)
8.	(1) ई-मेल आईडी (2) टेलीफोन नं. (लैंडलाइन) (3) मोबाइल नं.
II.	योग्यता एवं अनुभव
1.	योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).
2.	योग्यता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) .
3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार.
4.	अनुभव (कृपया बैंक के निदेशन से संबंधित आपके अनुभव का विवरण दें).
5.	बैंक के निदेशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी.
III.	अभ्यर्थी के संबंधियों का विवरण
1.	उन संबंधियों का विवरण, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हो [कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77), सहपठित कंपनी (पर परिभाषा विवरण की विस्तृत जानकारी) नियम, 2014 का नियम 4 का संदर्भ लें.]
2.	ऐसी इकाइयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वे रुचि रखते हो [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें]
3.	अभ्यर्थी के नाम में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के धारित शेयरों का विवरण, यदि कोई हो, पर: (कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, लेजर फोलियो नम्बर(रों) अथवा डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का विवरण दें).
4.ए	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अधिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी पर्याप्त हितधारक माना जाता हो.
4.बी	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अधिप्राय के तहत उन इकाइयों की सूची, जिसमें अभ्यर्थी से संबंधित पार्टियां पर्याप्त हित रखती हैं.
5.	पिछले छः वर्षों के दौरान बैंक(कों) के बोर्ड(डॉ) का निदेशन/सदस्यता (कृपया बैंक(कों) के नाम, अधिनियम का संबंधित प्रावधान जिसके अंतर्गत नियुक्ति/नामांकन किया गया था एवं ऐसी सदस्यता/निदेशन की धारण अवधि).
6.	उपरोक्त 3, 4(ए) एवं 5 में सूचिगत संस्थानों से वर्तमान में अभ्यर्थी द्वारा ली जा रही निधि एवं गैर-निधिगत सुविधाएं, यदि कोई हो.
7.	ऐसे मामले, जिनमें अभ्यर्थी अथवा उपर्युक्त मद सं 3, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीबद्ध इकाइयां सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हैं अथवा पूर्व में चूककर्ता रही हैं.
IV.	व्यवसायिक उपलब्धियां
1.	व्यवसायिक उपलब्धियां (कृपया उन उपलब्धियों का विवरण दें जो बैंक निदेशन से संबंधित हो).



अभ्यर्थी द्वारा की गई घोषणा एवं वचन पत्र के 2018 के अनुरूप संलग्नक	
V.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो,
1.	क्या अभ्यर्थी किसी व्यवसायिक संस्था/संगठन का सदस्य है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, लंबित अथवा शुरु हुई हो अथवा पूर्व में उनके विरुद्ध में दोष सिद्ध में परिणित हुई हो, का विवरण अथवा वह कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रविष्ट होने से प्रतिबंधित किया गया / की गई.
2.	आर्थिक नियम एवं अधिनियम का उल्लंघन के लिए निदेशक और/अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध अभियोजन, कोई हो, लंबित हो, शुरु हुआ हो अथवा पूर्व में दोष सिद्ध हुए अभियोजन का विवरण.
3.	अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान मुकदमा, यदि कोई हो, सहित पूर्व में अभ्यर्थी के विरुद्ध हुए आपराधिक अभियोजन, लंबित अथवा प्रारंभ हुए अथवा दोष सिद्ध में परिणित हुए का विवरण.
4.	क्या अभ्यर्थी/निदेशक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खण्ड 10 में वर्णित कोई अयोग्यता है ?
5.	क्या अभ्यर्थी अथवा उपरोक्त III-2, 4(ए), 4(बी) एवं 5 में सूचीगत इकाइयों के विरुद्ध सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के अनुरोध पर कोई जांच हुई है?
6.	क्या अभ्यर्थी कभी सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आयकर / विदेशी मुद्रा विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा नियम/अधिनियम/ वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है ?
7.	क्या अभ्यर्थी /निदेशक को कभी सेबी, आईआरडीए, भारिबैं, एमसीए, फेमा इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है. (यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों जिन्हें बाद में पलट / दरकिनार कर दिए गए हों उनका हू-बहू उल्लेख करें परंतु तब अवश्य किया जाय है कि जब ऐसे मामले न्याय क्षेत्र की सीमाओं अथवा कभी जैसे तकनीकी कारणों से पलटे / दरकिनार किए गए हों न कि मामले के गुणदोष के आधार पर. यदि नियामक का आदेश अस्थाई तौर पर स्थगित किया गया हो एवं अपीलेट/अदालती कार्यवाही लंबित हो तब भी उसका उल्लेख किया जाय).
8.	अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अभ्यर्थी/निदेशक क्या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा बैंक अथवा कम्पनियों इत्यादि के निर्देशों अथवा अनुदेशों पर कार्य करेंगे? यदि हां, तो विवरण दें.
9.	क्या अभ्यर्थी ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बैंक से कोई व्यवसाय किया है ? यदि हां, तो विवरण दें.
10.	उपर्युक्त I से V तक की मदों के संबंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना एवं अन्य जानकारी जो 'उपर्युक्त एवं यथोचित' स्थिति के निर्धारण हेतु प्रासंगिक मानी जाय.
वचननामा	
मैं.....पुत्र/पुत्री श्री पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से पूर्णतः सत्य एवं संपूर्ण है. मैं बैंक के शेरधारक निदेशक के रूप में मेरे चुनाव के अनुवर्ती घटित होने वाली ऐसी घटनाओं, यदि कोई हों, और जो ऊपर दी गई सूचनाओं से संगत हों, के बारे में यथाशीघ्र बैंक को अवगत कराते रहने का वचन देता हूँ. बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित करने हेतु बांछित सहमति विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ.	

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

संलग्नक:

नोट: 1. जहां भी स्थान पर्याप्त न हो, वहां कृपया कालक्रमानुसार और समुचित अन्योन्य सन्दर्भ सहित अनुलग्नक संलग्न करें.
2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवश्यक है.

नामांकन समिति का अवलोकन

--

सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर
--------------------	--------------------	--------------------

दिनांक:

स्थान :



निदेशकों का चयन

संबद्ध अधिनियम, योजना, विनियमन एवं अधिसूचना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, शेर धारक निदेशकों का चयन केंद्र सरकार के अलावा, शेरधारकों द्वारा अपने में से धारा 3 की उप-धारा 2(बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा के आधार पर किया जाएगा. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक्स (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 की संबंधित धाराएं, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के संबंधित विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 का सार संक्षेप, शेर धारकों की सूचनार्थ नीचे उद्धरित हैं.

I. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध - धारा 16(1)

भारत में निर्गमित कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपने निदेशक मण्डल में एक निदेशक के रूप में किसी ऐसी व्यक्ति को नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी का निदेशक हो.

ऋण एवं अग्रिमों पर नियंत्रण - धारा 20

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित के विपरीत होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कम्पनी निम्नलिखित नहीं करेगी -

(ए) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं करेगा, अथवा

(बी) निम्नलिखित को अथवा इनकी ओर से किसी को ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत करने की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाएगा -

I. अपना कोई भी निदेशक,

II. ऐसी कोई फर्म जिसमें अपना कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हो.

III. बैंकिंग कम्पनी का कोई निदेशक किसी कम्पनी [बैंकिंग कम्पनी की अनुषंगी अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 की 1) की धारा 25 के अंतर्गत एक पंजीकृत कम्पनी अथवा एक सरकारी कम्पनी न हो] उसका अथवा अनुषंगी अथवा उसकी धारक कम्पनी में निदेशक, प्रबंधक एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें उनका पर्याप्त हित हो, अथवा

IV कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसका कोई निदेशक एक साझेदार अथवा गारंटीकर्ता हो.

(2) बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऐसा कोई ऋण अथवा अग्रिम जिसे पेअदान करने की प्रतिबद्धता नहीं की जाती, यदि ऋण अथवा अग्रिम दिए जाने की तारीख को उपधारा (1) का खंड (बी) लागू होता अथवा बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के पश्चात बैंकिंग कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया हो परंतु उक्त के लागू होने से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुवर्तन में दिया गया हो, तो बैंकिंग कंपनी की ऋण अथवा अग्रिम एवं ब्याज, यदि कोई हो, की बकाया राशि को ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय निर्धारित समयावधि अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं है, वहां कथित धारा 5 के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के कदम उठाए जाएंगे.

परंतु भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में, बैंकिंग कम्पनी की ओर से इस बारे में लिखित रूप में आवेदन करने पर, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि किसी ऐसी तारीख तक भारिबैं द्वारा योग्य समझी गई शर्तों के अधीन बढ़ा सकती है, जो कथित धारा 5 के लागू होने से 3 वर्ष बाद की न हो, परंतु यह भी कि यह उप-धारा लागू नहीं होगी यदि बैंकिंग कम्पनी के संबंधित निदेशक का पद निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो गया हो.

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित, ऋण अथवा अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषण नहीं किया जाएगा एवं ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगी.

(4) उप-धारा (2) में संदर्भित ऋण अथवा अग्रिम की चुकौती किसी व्यक्ति द्वारा की जानी है, उसके उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को अदा न करने पर, यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित कथित अवधि की समाप्ति की तारीख को उस बैंकिंग कम्पनी का निदेशक है तो उस कथित तारीख से उस निदेशक द्वारा पद त्याग किया हुआ माना जाएगा.

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में -

(ए) “ऋण अथवा अग्रिम” में ऐसे लेनदेन को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे इस धारा के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक लेनदेन की प्रकृति, वह अवधि जिसमें, वे परिस्थितियां एवं तरीके जिनमें, लेनदेन के कारण से कोई राशि वसूली जानी हो, जमाकर्ताओं का ब्याज एवं अन्य संगत प्रतिफल को अपने विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश द्वारा ऋण अथवा अग्रिम न होने का उल्लेख करता हो.



(बी) किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में इसके सभी मामलों अथवा किसी मामले के प्रबंधन से अथवा प्रबंधन के संबंध में सलाह के उद्देश्य से गठित बोर्ड अथवा समिति के सदस्य में “निदेशक” शामिल हैं।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य से कोई लेनदेन, ऋण अथवा अग्रिम है अथवा नहीं, इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा एवं इस पर उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

II. बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

वोटिंग अधिकारों पर निषेध

धारा 3(2ई) :

सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार के अलावा अन्य कोई शेयरधारक, उस अपने धारित शेयरों के संबंध में सदृश नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)(i) :

यदि धारा (3) की उप-धारा (2बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी -

- (I) कुल चुकता पूंजी का 16% से अधिक न होने पर, एक निदेशक;
- (II) कुल चुकता पूंजी का 16% से अधिक लेकिन 32% से अधिक न होने पर, दो निदेशक,
- (III) कुल चुकता पूंजी का 32% से अधिक होने पर, तीन निदेशक,

शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा, अपने बीच में से चुनेंगे :

तथापि चयनित निदेशकों की संख्या के मामलों में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के लागू होने अथवा उससे पूर्व, किसी सदृश नए बैंक में निदेशकों की सं. उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III) जैसा भी मामला हो, में निर्धारित संख्या से अधिक होने पर, उक्त के प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित ऐसे अधिक संख्यक निदेश, योजना में यथानिर्धारित तरीके से सेवानिवृत्ति होंगे तथा वे अपने पद के कार्यकाल से पूर्व अपरिपक्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी क्षतिपूर्ति की मांग के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9(3ए):

उपर्युक्त खण्ड (i) के अंतर्गत चुने गए निदेशक -

(ए) निम्नलिखित विषयों में से एक अथवा अधिक में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो -

- (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- (ii) बैंकिंग,
- (iii) सहकारिता,
- (iv) अर्थशास्त्र,
- (v) वित्त,
- (vi) विधि,
- (vii) लघु उद्योग

(viii) किसी अन्य मामले में कोई विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव जो रिजर्व बैंक की राय में सदृश नए बैंक के लिए उपयोगी हो;

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(सी) कृषक, कर्मचारियों एवं दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9(3एए) :

उप-धारा (3ए) के प्रावधानों पर बिना किसी पूर्वाग्रह एवं इस अधिनियम अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य नियम में निहित के विपरित होते हुए भी कोई व्यक्ति उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक चुने जाने का तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह निर्दिष्ट पृष्ठभूमि, विश्वसनीयता एवं इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर “उपयुक्त एवं यथोचित” स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता।

धारा 9(3बी) :

यदि रिजर्व बैंक का यह मत हो कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित सदृश नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा(3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता/करती है, तो वह ऐसे निदेशक एवं बैंक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, आदेश द्वारा, उस निदेशक को बर्खास्त कर सकता है एवं ऐसी बर्खास्तगी पर, निदेशक मंडल उस बर्खास्त किए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (3ए) एवं (3एए) की अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो को सदृश नए बैंक की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत निदेशक का चयन होने तक निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा एवं इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति सदृश नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत चुना हुआ निदेशक माना जाएगा।

कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता के रूप में दायित्व
धारा 13(2) :

सदृश नए बैंक के सभी निदेशक, स्थानीय बोर्ड अथवा समिति के सदस्य, अथवा लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपना दायित्व सम्भालने से पूर्व तृतीय अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में कर्तव्यपरायणता एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

III. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1970
चयनित निदेशक के पद का कार्यकाल
खण्ड 9(4):

एक चयनित निदेशक तीन वर्ष तक अपने पद पर रहेगा एवं पुनः चयन के लिए पात्र होगा:

परंतु ऐसा कोई निदेशक लगातार छः वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर नहीं बने रहेंगे।

निदेशकों की अयोग्यता
खण्ड 10:

एक व्यक्ति निदेशक के पद पर होने अथवा नियुक्ति के लिए, अयोग्य होगा -

(ए) यदि वे कभी भी दिवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा भुगतान आस्थगित किए हो अथवा उसके लेनदारों के साथ संयोजित हो; अथवा

(बी) यदि वह संक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति एवं विचार वाला घोषित किया गया हो; अथवा

(सी) यदि वह अपराध जिसमें नैतिक भ्रष्टता के लिए दंड न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, अथवा

(डी) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अथवा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित कोई अनुषंगी बैंक में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, प्रबंध निदेशक सहित अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) एवं खंड (एफ) के अंतर्गत संबंधित सादृश बैंक के कर्मचारियों में से किसी कार्यालय में नामांकित निदेशक के तौर पर लाभकारी पद धारित करता हो।

निदेशकों का पद त्यागना
अनुच्छेद 11:

(1) यदि कोई निदेशक खंड 10 में उल्लिखित किसी भी प्रकार से अयोग्य हो जाता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह समझा जाएगा कि उन्होंने पद त्याग कर दिया है एवं उनका पद रिक्त हो जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) खंड (सी) या खंड (डी) में उल्लिखित निदेशक, प्रबंध निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और इस प्रकार का त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर उनका पदत्याग समझा जाएगा, कोई अन्य निदेशक, केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र, केन्द्र सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति से प्रभावी माना जाएगा।

(3) पूर्व में कथित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित पद, सिवाय राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार जिनका वह निदेशक है, उस निदेशक के अन्य कामगार या कर्मचारी न रहने पर वह पद रिक्त माना जाएगा।

(4) एक चुने हुए निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक का पद रिक्त होने पर उस अधिनियम की धारा 9 के उपनियम (3) के अनुसार भरा जाएगा।

चुने हुए निदेशक को पदच्युत करना
अनुच्छेद 11ए

केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, उन सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का आधे से अधिक रखने वाले ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अधिनियम 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत चुने गए किसी निदेशक को पदच्युत किया जा सकता है तथा बदले में अन्य व्यक्ति द्वारा रिक्ति को भरा जा सकता है।



चयनित निदेशक के पद की रिक्ति को भरना

अनुच्छेद 11 बी

(1) किसी चयनित निदेशक के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व रिक्ति होने पर उसे चुनाव द्वारा भरा जाएगा:

बशर्ते कि रिक्ति की समयावधि 6 माह से कम होने पर, शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है,

(2) उप-खंड (1) के अंतर्गत चयनित अथवा सहयोजित कोई व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल असमाप्त अवधि के लिए उस पद पर रह सकता है,

निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण

अनुच्छेद 12(8)

एक निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा, ऋण, वित्त व्यवस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए अथवा प्रस्तावित प्रस्ताव से कोई संबंध रखता है अथवा उसमें हित रखता है तो, संबद्ध परिस्थितियों के उसके संज्ञान में आने के उपरांत यथा संभव शीघ्र, अपने हितों को बोर्ड के समक्ष प्रकट करेगा ऐसे संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के संबंध में होने वाली चर्चा की बैठक में तब तक उपस्थित नहीं रहेगा जब तक कि सूचनाओं पर प्रकाश डालने के लिए उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा वांछित न हो एवं ऐसा कोई भी निदेशक ऐसी संविदा ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव पर वोट नहीं डाल सकेगा:

बशर्ते कि इस उपखंड में निहित प्रावधान ऐसे निदेशक पर उसके निम्नलिखित कारणों के रहते हुए लागू नहीं होंगे:

- कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में यथा समय लागू किसी नियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम अथवा सहकारी संस्था में वह शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त) उसकी कुल चुकता पूंजी का 2% से अधिक धारित न करता हो, या जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ संविदा, ऋण, व्यवस्था अथवा प्रस्ताव किया है अथवा कराया गया है अथवा ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, अथवा
- राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (ई), अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्टानुसार निदेशक हो.

IV. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में है, रजिस्टर में नामित प्रथम व्यक्ति को शेयरों के अंतरण के अलावा मामलों यथा वोटिंग, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाओं का प्रेषण एवं बैंक से संबंधित अन्य किसी मामलों के लिए, एकल धारक माना जाएगा.

साधारण बैठकों में निदेशक चुना जाना

विनियम 63

- अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (i) के अंतर्गत कोई निदेशक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा बैंक की साधारण बैठक में उन्हीं में से चुना जाएगा.
- जब किसी साधारण बैठक में निदेशक का चुनाव किया जाना हो तब इसकी सूचना आयोजित किए जाने की सूचना में सम्मिलित की जाएगी. ऐसी प्रत्येक सूचना में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा जिनके लिए चुनाव किया जाना है.

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- इन विनियमों के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक का चुनाव करने के उद्देश्य के लिए, रजिस्टर में दर्ज उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है.
- इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, धारित शेयरों की संख्या, शेयर प्रदर्शक संख्या शेयरों के पंजीकरण की तिथि चुनाव करने के लिए तय बैठक की निर्धारित तारीख को उनके वोटों की पात्रता का उल्लेख होगा तथा इसकी प्रतियां प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर बोर्ड अथवा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व खरीद हेतु उपलब्ध होगी.

चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

विनियम 65:

- किसी अभ्यर्थी का एक निदेशक के तौर पर चुनाव के लिए नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि -
(ए) वह बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो,

- (बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख को वह अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत निदेशक होने के अयोग्य न हो।
- (सी) उसके द्वारा एकल या अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में उसने किसी भी मांग की निर्धारित अंतिम तारीख से पूर्व सभी मांगों का भुगतान कर दिया हो।
- (डी) अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित नामांकन हो बशर्ते कि शेयरधारक के कंपनी होने पर यह कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो एवं जब ऐसा किया गया हो तो जिस बैठक में यह संकल्प पास किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रामाणित प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं ऐसी प्रति को कथित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (ई) नामांकन के साथ या उसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार, अथवा सबरजिस्ट्रार ऑफ़ एश्यूरेंस या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा हो कि उसने नामांकन स्वीकार किया है और वह चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है, और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (ii) कोई नामांकन वैध नहीं होगा यदि यह सभी प्रकार से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व किसी कार्यदिवस को बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हुआ हो।

नामांकनों की जांच

विनियम 66:

- (i) नामांकन प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अनुवर्ती प्रथम कार्यदिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि किसी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर, उसे इसका कारण स्पष्ट करते हुए इसे निरस्त कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा किसी विशेष रिक्ति को भरने के लिए सिर्फ एक वैध नामांकन हो, ऐसा नामांकित उम्मीदवार तुरंत चुना हुआ माना जाएगा और और उसका नाम एवं पता उनके इस प्रकार चुने होने पर प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि यह उपर्युक्त बैठक सिर्फ कथित चुनाव के लिए ही बुलाई गई है, तो यह निरस्त हो जाएगी।
- (ii) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो बहुमत हासिल करने वाला उम्मीदवार चुना माना जाएगा।
- (iii) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक उसके चुने हुए माने जाने की तारीख से अगले दिन पदभार संभाल लेना माना जाएगा।

चुनाव विवाद

विनियम 67:

- (i) यदि किसी व्यक्ति के चुना जाना घोषित होने, या उसे चुना हुआ समझे जाने या निदेशक के चुनाव की वैधता के योग्य अथवा अयोग्य होने पर कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता हो तो कोई इच्छुक व्यक्ति, उम्मीदवार या शेयरधारक जो ऐसे चुनाव में वोट के लिए पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के अंदर, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित में इसकी सूचना देगा और कथित सूचना में उस पृष्ठभूमि का पूर्ण विवरण देगा जिसकी वजह से उसे चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न हुआ है।
- (ii) उप-विनियम (i) के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने पर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक तुरंत ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम के अनुच्छेद 9 के उपनियम (3) के खंड (बी) एवं (सी) के अंतर्गत नामांकित किन्हीं दो निदेशकों से गठित समिति को निर्णय के लिए भेजेगा।
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यक समझे जाने के अनुसार जांच करेगी और वह यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी, अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था, तो जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के अंदर, ऐसा आदेश देगी तथा उस निदेशक को भी समिति न्यायोचित लगी परिस्थितियों में नया चुनाव हेतु कहेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुपालन में ऐसी समिति का एक आदेश एवं दिशानिर्देश अंतिम होगा।

वोटिंग अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68:

- (i) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो एक सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व पंजीकरण की समापन की तारीख को शेयरधारक के तौर पर पंजीकृत हुआ हो, ऐसी बैठक उसका में एक वोट हाथ प्रदर्शन से और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।
- (ii) अधिनियम के अनुच्छेद 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, उपर्युक्त वोट के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से



उपस्थित या प्रॉक्सी के तौर पर उपस्थित है या जो कंपनी है वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, या प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित है उसे इसमें उपर्युक्त उप-विनियम (i) में कहे अनुसार हाथ प्रदर्शित कर एक वोट तथा मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

(स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए, “कंपनी” का तात्पर्य किसी भी निगमित निकाय से है)

- (iii) एक साधारण बैठक में उपस्थित होने एवं वोट के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या नहीं) को अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए प्रॉक्सी का पात्र होगा, लेकिन नियुक्त किए गए ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग

विनियम 69:

- (i) शेयरधारक जो केन्द्र सरकार या एक कंपनी है, एक संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत करेगी एवं वह प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे) “विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि” कहा गया है. केन्द्र सरकार या कंपनी के जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है उन सभी अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करने का पात्र होगा मानो वह बैंक का एकल शेयरधारक हो. यदि ऐसा प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक के तौर पर दिया जा सकता है. ऐसे मामले में उन दोनों व्यक्तियों में से कोई एक केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर सकता है.
- (ii) बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कोई व्यक्ति तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक कि उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, से प्रमाणित सत्यापित, साधारण बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी जाए.

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011

कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा उसे “उपयुक्त एवं यथोचित” दर्जा न दिया जाए. नामांकन के साथ अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं फील्ड निपुणता, विशिष्ट ट्रेक तथा ईमानदारी इत्यादि की जानकारी दी जाए ताकि नामांकन समिति उसके संबंध में “उपयुक्त एवं यथोचित” दर्जे का निर्णय ले सके. किसी भी प्राधिकारी विनियामक की प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन या किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण का चूककर्ता होना संबंधित उम्मीदवार को बोर्ड के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त करेगा.



कुल व्यवसाय

(रु. करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)

लाभप्रदता

(रु. करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)
शुद्ध लाभ/हानि	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)



निदेशक रिपोर्ट 2017-18

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल व्यवसाय रु. 472323 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2017 को रु. 449679 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक की कुल जमा राशि रु. 294839 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च, 2017 में रु. 296671 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 16% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 177484 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2017 में रु.153008 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय रु. 26659 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह रु. 27537 करोड़ थी।
- ❖ बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2018 को रु. 2623 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 2876 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ रु. 2733 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 3089 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने रु. 5105 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल हानि रु. 2439 करोड़ थी। यह हानि मुख्यतः उच्चतर एनपीए प्रावधानों, उच्चतर स्लीपेज/एजिग एवं एनसीएलटी खातों में अतिरिक्त प्रावधानों, निवेश पर विशेष रूप से घटते ट्रेडिंग लाभ, निवल ब्याज आय में कमी इत्यादि के कारण है।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी व्यय रु. 230 करोड़ की कमी के साथ रु. 3984 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 4214 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 9.46% हो गया, जिसमें टीयर I 5.50% और टीयर II 3.96% है। दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III के अंतर्गत) 9.04% हो गया, जिसमें टीयर I 7.01% और टीयर II 2.03% है।
- ❖ बैंक की शुद्ध मालियत रु. 14845 करोड़ रही।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली बढ़कर रु. 2403 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 2378 करोड़ थी।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को सकल अग्रिमों में सकल एनपीए 21.48% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 17.81% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए 11.10% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 10.20% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रोविजन कवरेज अनुपात सुधरकर 63.31% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 58.43% था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 2.47% रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्रति कर्मचारी व्यवसाय रु. 12.71 करोड़ रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (1.61%) रहा।
- ❖ वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन बढ़कर रु.82834.61 हो गया है। जो पिछले वर्ष की तुलना में रु.9484.37 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। तथापि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एनबीसी को ऋण के आधिक्य का फायदा उठाते हुए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/ खरीद लेनदेन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में रु.22030 करोड़ के पीएसएलसी का विक्रय किया है तथा एमएसएमई पोर्टफोलियों में रु.7524.50 करोड़ की पीएसएलसी की खरीद की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री रु. 14505.50 करोड़ रही। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बैंक ने रु.1500 करोड़ के आईबीपीसी का भी विक्रय किया है। पूर्वोक्त विक्रय के बावजूद, बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में एनबीसी से रु. 6669.28 करोड़ का आधिक्य रहा।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का कृषि अग्रिम रु. 30,776 करोड़ है।

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एमएसएमई अग्रिम रु. 34,025 करोड़ हुआ जो कुल ऋण एवं अग्रिमों का 19.17% है।
- ❖ मार्च, 2018 में रिटेल ऋण 50.35% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 48,123 करोड़ हो गया जो मार्च 2017 में रु. 32,008 करोड़ था। बैंक ने रिटेल ऋण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2017 में एक व्यापक कार्यक्रम 'रिटेल धमाका' का शुभारम्भ किया। कैम्पेन अवधि के दौरान रु. 4980 करोड़ की राशि के ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
- ❖ बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो मार्च, 2018 में रु. 21,392 करोड़ रहा, जबकि मार्च, 2017 में यह रु. 12,510 करोड़ था, जो वर्ष-दर-वर्ष 71.00% की वृद्धि दर्शाता है। कुल रिटेल पोर्टफोलियो में दिनांक 31 मार्च, 2018 को आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 44.45% रही।
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, आरसेटी ने 1280 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 33,428 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 23403 (अर्थात 70%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है।
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है। बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेंट के माध्यम से कवर किए हैं। हमने 177 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले हैं। बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 184.19 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 को इन खातों में कुल जमा शेष रु. 2567 करोड़ था।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय रु.21.42 करोड़ हुई।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4685 शाखाएं, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं।

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2017-18 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

रु. करोड़ में

	31.03.2018	31.03.2017	विचलन	%
1 व्याज आय	24036	24661	(625)	(2.53)
-अग्रिम	14478	16283	(1805)	(11.09)
-निवेश	7138	7372	(234)	(3.17)
-अन्य	2420	1006	1414	140.56
2 अन्य आय	2623	2876	(253)	(8.80)
3 कुल आय (1+2)	26659	27537	(878)	(3.19)
4 प्रदत्त व्याज	17519	18087	(568)	(3.14)
-जमाराशियां	16222	17330	(1108)	(6.39)
-अन्य	1297	757	540	71.33
5 परिचालन व्यय	6407	6361	46	0.72
-स्थापना	3984	4214	(230)	(5.46)
-अन्य	2423	2147	276	12.86
6 कुल व्यय (4+5)	23926	24448	(522)	(2.14)
7 स्प्रैड (1-4)	6517	6574	(57)	(0.87)
8 परिचालन लाभ (3-6)	2733	3089	(356)	(11.52)
9 प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	7838	5528	2310	41.79
10 कर के लिए प्रावधान	(2791)	(1090)	(1701)	156.06
11 शुद्ध लाभ / (हानि)	(5105)	(2439)	(2666)	-----



3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित रु. 7838 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

	31.03.2018	31.03.2017	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	7	(164)	171
एनपीए के लिए प्रावधान	10543	6216	4327
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	(951)	321	(1272)
निवेश के लिए प्रावधान	799	300	499
करो के लिए प्रावधान	(2791)	(1090)	(1701)
अन्य	231	(55)	286
कुल	7838	5528	2310

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2018	31.03.2017
जमाओं की लागत	5.53	6.20
निधियों की लागत	5.79	6.27
अग्रिमों पर आय	8.31	9.01
निवेशों पर आय	7.14	7.38
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.47	2.51
लागत आय अनुपात	70.10	67.31

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2018	31.03.2017
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	7.59	8.10
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	0.83	0.94
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	0.86	1.01
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(1.61)	(0.80)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. करोड़ में)	12.71	11.81
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	(13.86)	(6.49)

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2018		31.03.2017	
	बासल-II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर-I	5.50	7.01	6.87	8.62
टियर-II	3.96	2.03	3.50	2.33
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.46	9.04	10.37	10.95



7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को रु. 5105 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार डॉ. सौरभ गर्ग निदेशक, दिनांक 16 अगस्त, 2017 को बैंक निदेशक पद से कार्य समय की समाप्ति पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए।
- ❖ दिनांक 17 अगस्त, 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 17 अगस्त, 2017 को श्री गोविन्द मोहन भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
- ❖ दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 को तीन वर्षों की अवधि के लिए श्री बी.एस. शेखावत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
- ❖ दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रो. (डॉ.) आत्मानंद बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
- ❖ पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पीएफआरडीए) में पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त) के रूप में अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री सुप्रतिम बंधोपाध्याय दिनांक 17 मार्च, 2018 को अपने कार्य समय की समाप्ति पर बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद से कार्य निवृत्त हुए।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए डॉ. सौरभ गर्ग और श्री सुप्रतिम बंधोपाध्याय द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

8.1 दिनांक 14 मई, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल प्रभाव (अर्थात दिनांक 14 मई, 2018 से प्रभावी) से और अगले आदेशों तक हमारे बैंक बोर्ड के वर्तमान निदेशक श्री गोविन्द मोहन के स्थान पर नियुक्त किया। डॉ. सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा, 1993 के बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में वे आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में नियुक्त हैं। मई 2018 में डीएफएस में नियुक्ति से पूर्व, निवेश एवं सार्वजनिक सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉ. सिन्हा का तीन वर्षों का कार्यकाल रहा था। डॉ. सिन्हा ने नेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू), कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में मास्टर डिग्री और वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री ली है।

8.2 वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23 मई, 2018 के अनुसार श्री तपन रे को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में तीन वर्षों के लिए अधिसूचना की तारीख (अर्थात दिनांक 23 मई, 2018 से प्रभावी) से अथवा नये आदेशों के आने तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री तपन रे सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स), भारत सरकार, गुजरात कैडर के आईएएस के रूप में 35 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। आपने वुडरो विलसन स्कूल, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएट और मैक्सवेल स्कूल, सिराक्यूज विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। आपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी डिग्री हासिल की है। आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, जैसे- रक्षा, कपड़ा, विद्युत उर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं योजना मंत्रालयों में अपनी सेवायें प्रदान की हैं। आप गुजरात राज्य में वित्तीय विभाग में मुख्य सचिव थे। श्री रे, भारत सरकार के साथ-साथ गुजरात सरकार के विभिन्न कंपनियों में 12 वर्षों से अधिक के दीर्घ कॉर्पोरेट अनुभवों से संपन्न हैं। आप गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम और इसकी समूह कंपनियों के प्रबंध निदेशक के रूप में 5 वर्षों की सेवा दे चुके हैं। आपने सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स) के रूप में सेबी के बोर्ड में भी अपनी सेवायें प्रदान की है।

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

10. त्वरित सुधारत्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्तियों के आलोक में बैंक



को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है। बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से निकलने वाले सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायता करेगा।

11. व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है जो बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर उपलब्ध है। इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बैंक के प्रधान कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिख कर इसे प्राप्त कर सकता है।

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

- ❖ महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।

13. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरसः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

14. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई, 2018

राजीव ऋषि

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण

भाग ए : आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017 में 3.8% की वृद्धि दर्ज की है, जब कि वर्ष 2016 में यह 3.2% थी और उम्मीद है कि वर्ष 2018 में विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से यह स्थिति बरकरार रहेगी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 2017 में 2.3% वृद्धि दर्ज की है, जब कि वर्ष 2016 में यह 1.7% थी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक, यूएस की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में 2.3% की वृद्धि हुई है, जब कि वर्ष 2016 में यह 1.5% थी. यूएस में समष्टि मानदंडों में व्यापक सुधार हुआ है. वर्ष 2017 में यूएस में मुद्रास्फीति बढ़ गई और 2.1% के स्तर पर पहुंच गई. यूएस संघ ने क्रमिक दर वृद्धि के साथ अपनी मौद्रिक नियंत्रण प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है. यूरो क्षेत्रों में; वर्ष 2017 में वास्तविक जीडीपी 2.3% बढ़ गया है. इस क्षेत्र में, वर्ष 2017 में मुद्रास्फीति 1.5% बढ़ गई है. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में सकल पूंजी निर्माण और औद्योगिक उत्पादन दोनों बढ़ गए हैं. वर्ष 2017 में, जापान की जीडीपी 1.7% बढ़ गई है. निर्यात, अनुकूल घरेलू मुद्रा के सहयोग से वर्ष 2017 में निर्यात बढ़कर 6.8% हो गया है. निजी उपभोग में वृद्धि के कारण घरेलू मांग बढ़ गई. उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच, वर्ष 2017 में चीन का जीडीपी 6.9% हो गया, जो हमारे देश द्वारा वित्तीय लिबरेज को कम करने का मार्ग अपनाने के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है. वर्ष 2017 में मुद्रा स्फीति 1.6% हो गई. वर्ष 2017 में अचल आस्तियों में निवेश बढ़कर 7.2% हो गया. वर्ष 2017 में उपभोक्ता वस्तुओं की रिटेल बिक्री बढ़कर 9.4% हो गई है. वर्ष 2017 में रूस की अर्थव्यवस्था लगातार दो वर्षों के संकुचन के पश्चात बढ़कर 1.5% पर वापस आया है. ब्राजील की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017 में 1% की वृद्धि हुई. वैश्विक कारणों, जैसे कि यूएस में ब्याज दर चक्र, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि भारत के पूंजीगत प्रवाह, विनिमय दर इत्यादि पर प्रभाव डाल सकता है. बढ़ती हुई तेल की कीमतें भारत के समष्टि मानदंडों पर भी प्रभाव डाल सकती है.

बैंकिंग का बदलता परिदृश्य

विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकिंग उद्योग में ऋण वृद्धि धीरे-धीरे बढ़ रही है. वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण-जमा अनुपात में सुधार आया है. तथापि, दबावग्रस्त कॉर्पोरेट तुलन पत्र ने ऋण वृद्धि को वांछित स्तर तक पहुंचने नहीं दिया. आस्ति गुणवत्ता बैंकिंग उद्योग के लिए चिंता का कारण बना हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों को जोखिम भरी गतिविधियों से बचने के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे के अंतर्गत डाला है और उनके तुलनपत्र को मजबूती देने हेतु पूंजी सुरक्षित रखी है. सरकार द्वारा उद्घोषित बैंकों के पुनर्पूँजीकरण योजना, भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को पर्याप्त पूंजी देने हेतु एक स्वागतयोग्य कदम है. अक्टूबर 2017 में, सरकार ने पुनर्पूँजीकरण हेतु रु. 2.11 ट्रिलियन की घोषणा की, जिसमें से रु.1.35 ट्रिलियन पुनर्पूँजीकरण बाँड द्वारा उगाही जायेगी.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल व्यवसाय रु.472323 करोड़ हो गया, जो 5.04% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा रु.449679 करोड़ था. उच्च लागत जमा दिनांक 31 मार्च, 2018 को घटकर रु. 850 करोड़ हो गई है, जबकि दिनांक 31 मार्च 2017 को यह रु.13356 करोड़ थी.

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 2733 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में यह रु. 3089 करोड़ था. बैंक ने बढ़े हुए प्रावधानों के कारण वर्ष 2017-18 में रु. 5105 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 2439 करोड़ थी.

संसाधन संग्रहण

रु. 850 करोड़ की सीमा तक के उच्च लागत जमाओं में कमी के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक की सकल जमा रु. 294839 करोड़ हो गया. बचत बैंक जमा वर्ष 2017-18 में बढ़कर रु.110509 करोड़ हो गई, जो 7.18% की वृद्धि दर्शाती है, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 103102 करोड़ थी तथा चालू खाता जमा वर्ष 2017-18 में रु.14687 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2016-17 में यह रु. 13207 करोड़ थी. कुल जमा में कासा जमा की हिस्सेदारी बढ़कर 42.46% हो गई, जो पिछले वर्ष के दौरान 39.20% थी. कोर सावधि जमा वर्ष 2017-18 में 3.77% की वृद्धि के साथ रु. 293989 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2016-17 में यह रु. 283315 करोड़ थी.

बैंक में भारतीय लेखांकन मानक का क्रियान्वयन एवं कार्य-योजना

कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित मूल रोड मैप के अनुसार सभी बैंक (क्षे.प्रा.बैंक को छोड़कर) दिनांक 1 अप्रैल, 2018 के प्रारंभ से अब तक की लेखांकन अवधि के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि अथवा उसके पश्चात के लिए तुलनात्मक लेखांकन के लिए अपनी वित्तीय विवरणियाँ भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता है. दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को भारिबैं ने अपने विकास और विनियामक



नीतियों से संबंधित विवरणियों में यह उल्लेख किया है कि बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप में आवश्यक विधायी सुधार किए गए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं। इसके आलोक में, और कई बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए भी बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन को भारिबैं द्वारा, अपेक्षित आवश्यक विधायी परिवर्तन तक, एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब से, बैंकों में भारतीय लेखांकन मानक के क्रियान्वयन हेतु संशोधित समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा उसके पश्चात समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक लेखांकन सहित दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होगी। बैंक एक भारतीय लेखांकन मानक सलाहकार, संस्थापित कोर भारतीय लेखांकन टीम की सेवायें ले रहा है और भारतीय लेखांकन मानक को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका है। प्रगति की निगरानी के लिए कार्यपालक निदेशक की अगुवाई में एक संचालन समिति स्थापित की गई है। निदेशक मंडल और बोर्ड की लेखा समिति भारतीय लेखांकन मानक की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है। भारिबैं के निर्देशानुसार बैंक ने सितम्बर 2016 और जून 2017 के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है।

ऋण

बैंक का सकल अग्रिम रु.3600 करोड़ (शुद्ध आईबीपीसी प्रभाव) की वृद्धि के साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को रु.1,77,484 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह रु.1,53,008 करोड़ था। यह वर्ष दर वर्ष 2.07% की वृद्धि दर्शाता है।

ऋण निगरानी विभाग

बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लेखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है। हमने कृषि, एमएसएमई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों को ऋण वितरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र वित्तपोषण के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावी रही है।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण विनियोजन रु. 82834.61 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में रु. 9484.37 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में एएनबीसी से ऊपर अतिरिक्त ऋण का फायदा उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेनदेन आरंभ किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत रु. 22030 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की बिक्री की है और एमएसएमई पोर्टफोलियो के अंतर्गत रु. 7524.50 करोड़ मूल्य की पीएसएलसी की खरीद की है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध बिक्री 14505.50 करोड़ थी। बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत रु. 1500 करोड़ के आईबीपीसी की भी बिक्री की है। पूर्वोक्त बिक्री के बावजूद बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एएनबीसी से रु. 6669.28 करोड़ अधिक रहा है।

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2018 को रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत सकल बकाया शेष रु. 48123 करोड़ रहा। बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो, सकल अग्रिम का लगभग 27% है। पिछले वर्ष की तुलना में रिटेल में 50.35% की वृद्धि हुई है। रिटेल ऋण को बढ़ावा देने के क्रम में माह दिसम्बर 2017 के दौरान एक आक्रामक अभियान - रिटेल धमाका का शुभारंभ किया गया। इसका लक्ष्य रु. 3968 करोड़ की नई स्वीकृतियाँ और बकाया शेष में रु. 2000 करोड़ की वृद्धि हासिल करना था। अभियान अवधि के दौरान 125% के उपलब्धि सूचकांक के साथ रु. 4979 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। स्टाफ सदस्यों की 25% अनुमानित सहभागिता के समक्ष वास्तविक सहभागिता 29% रही। 40% शाखाओं ने स्वीकृतियों से सम्बंधी लक्ष्य को हासिल कर लिया। बैंक की सभी शाखाओं ने 100% सक्रियता के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी मुद्रा व्यवसाय कारोबार देशभर में फैली 83 प्राधिकृत डीलर ('बी' श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है। परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि बेहतर कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
- ❖ दिनांक 31.03.2018 को बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो रु.5694 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2017 को यह रु. 5452 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.44% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2017-18 में मर्चेन्ट ट्रेड विदेशी मुद्रा टर्नओवर रु.42,332 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह रु.38,269 करोड़ था।
- ❖ एनआरई जमा दिनांक 31.03.2017 को रु. 4457 करोड़ थी जो दिनांक 31.03.2018 को यह रु 4764 करोड़ हो गया। जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.89% की वृद्धि दर्शाता है।



- ❖ एफसीएनआर जमा दिनांक 31.03.2017 को यूएसडी 217.86 मिलियन थी, जो दिनांक 31.03.2018 को यूएसडी 220.83 मिलियन हो गई। जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.36% की वृद्धि दर्शाता है।

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

- ❖ बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ोत्तरी के साथ रु.1,05,294 करोड़ (रु. 4835 करोड़ के गैर-एसएलआर, गैर-हस्तांतरणीय भारत सरकार की पुनर्पूजीकरण बॉण्ड सहित) रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह रु. 93,792 करोड़ था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.33% की वृद्धि दर्शाता है। दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2018 को 7.40% रहा, दिनांक 31 मार्च, 2017 को यह 6.60% था।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेपो दर में 0.25% की कमी करते हुए इसे 6.00% कर दिया है और पॉलिसी रेट कॉरिडोर को 0.5% से घटा कर 0.25% कर दिया है। इस प्रकार बैंक दर घटकर 6.25% हो गई है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम-प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधक नीतियों/ प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है। उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है। कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है।

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए हमारे बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने रु. 2403 करोड़ नकदी वसूली की और रु. 785 करोड़ अपग्रेडेशन किया। कुल मिलाकर यह राशि रु. 3188 करोड़ थी, फिर भी, उच्च राशियों के नए खातों (रु. 50.00 करोड़ एवं अधिक के 49 खाते कुल राशि रु. 12685 करोड़) की अभिवृद्धि से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

चौथी तिमाही के दौरान बैंक ने एक विशेष वसूली अभियान ‘‘मिशन रिकवरी’’ का शुभारंभ किया था। इसे फील्ड फंक्शनरियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। रु. 1430 करोड़ की नगद वसूली एवं अपग्रेडेशन के लक्ष्य के समक्ष बैंक ने 98% की लक्ष्य प्राप्ति के साथ रु. 1404 करोड़ (नकद वसूले + अपग्रेडेशन) प्राप्त किए।

सूचना प्रौद्योगिकी

दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है। बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।

विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पूर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार किया जाता है। बैंक ने आपदा रिकवरी केंद्र स्थापित किया है एवं बैंक की नीति के तहत विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित आपदा रिकवरी अभ्यास किया जाता है। ग्राहकों के हितों एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की नीतियां एवं प्रक्रियाओं की शुरुआत की गयी है। बैंक ने शून्य डाटा हानि के साथ व्यावसायिक सातत्य सुनिश्चित करने के लिए नीयर साइट कार्यान्वित किया है। आवश्यकतानुसार निरंतर कई नई कार्यमूलकताओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता शाखाओं को दिए गए विशिष्ट जोखिम रेटिंग पर निर्भर है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान 4091 शाखाएं आरबीआईए के अधीन थीं। दिनांक 31.03.2018 को 2255 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग, 2405 शाखाएं निम्न जोखिम रेटिंग एवं 37 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में वर्गीकृत हैं। बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं हैं।



शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2018 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4685 शाखाएं हैं, 4886 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं। देश के सभी 29 राज्यों, 6 में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों एवं एनसीटी दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों तथा देश के 707 जिलों में से 626 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।

परिचालन

- ❖ बैंक अपने विस्तारित आधुनिक कॉल सेन्टर, के द्वारा आउट वाउंड काल के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करती है एवं अपने ग्राहकों को उनके ऋण खाते की अतिदेय राशि का अनुस्मारक देती है। इसी के साथ इन बाउंड काल सुविधा द्वारा ग्राहकों की पूछताछ शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।
- ❖ ग्राहकों हेतु सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सुविधा उपलब्ध है।
- ❖ पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली में गति, शुद्धता और सुरक्षा को उन्नत करने के लिए नया पेंशन सॉफ्टवेयर-जीबीएम- पेंशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है, यह पेंशनरों को भुगतान और त्वरित संशोधित लाभों के विवरण से संबंधित एसएमएस उपलब्ध कराएगा।
- ❖ भारत सरकार के बैंकिंग सुधारों के लिए दिए गए रोड मैप के अनुसार ग्राहकों की सुविधा हेतु संशोधित सरल खाता खोलने के प्रारूपों (सीआईएफ एवं एओएफ - व्यक्तिगत/वैयक्तिक) का शुभारंभ किया गया।
- ❖ समाशोधन के चेकों को नामे करने से पूर्व ग्राहकों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। विवादित चेकों के मामले में, ग्राहक गृह शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
- ❖ अब ग्राहक छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना/ सुकन्या समृद्धि खाता/केवीपी के अंतर्गत अपनी पसंद की किसी भी शाखा में खाता खोल सकता है।
- ❖ ग्राहकों की शिकायतों का निवारण तत्काल हो रहा है, निपटान समय कम करके ग्यारह दिन कर दिया है।

कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरूकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर विजिविलिटी बढ़ाने के लिए, फील्ड स्तर पर स्थानीय खेल स्पर्धाओं/यात्राओं/आयोजनों/किसान कैम्पों/सम्मेलनों के प्रायोजन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रचार-प्रसार गतिविधियों जैसे ट्रैफिक बेरिकेडस्, नो पार्किंग बोर्डों, पुलिस चौकियों, यूटिलिटी किऑस्क, दीवार पेंटिंग, ऑटो-रिक्शा, बस, ट्रेन, शिकारा, कैटामारेन में ब्रांडिंग की गई। इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोकल केबल, एफएम रेडियो, मोबाइल एप, यूएफओ मूवीज़, पीवीआर सिनेमा का भी उपयोग किया गया।

सतर्कता

49 केन्द्रीयकृत ऋण प्रसंस्करण कक्षों (सीसीपीसी) में एक अध्ययन आयोजित किया गया, जिसे चुनिंदा रिटेल ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋणों को प्रसंस्कृत और स्वीकृत करने हेतु बैंक में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य, कमजोरियों की पहचान करने और सुधार हेतु सुझाव बनाने के लिए उपलब्ध संरचना, रिटेल ऋणों को प्रसंस्कृत और स्वीकृत करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता, नियंत्रण एवं समीक्षा प्रणाली इत्यादि जानना है।

संगामी लेखापरीक्षा गलतियों की पहचान करने के लिए एक प्रणाली है और संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता को जानने के लिए एक अध्ययन आयोजित किया गया : तदनुसार संगामी लेखापरीक्षाओं द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा के लिए सुझाव दिये गये।

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017” : सीवीसी के प्राप्त निर्देशों के अनुसार, दिनांक 30.10.2017 से दिनांक 04.11.2017 तक बैंक द्वारा “सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017” इस वर्ष, “मेरा विजन - भ्रष्टाचार मुक्त भारत” की थीम के साथ नेक भावना के साथ मनाया गया। दिनांक 30.10.2017 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों ने प्रतिज्ञा ली। बैंक के सभी 13 आंचलिक कार्यालयों, 59 क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं तथा हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी समारोह आयोजित किए गए।

मानव संसाधन विकास

मानवशक्ति :

मार्च 2018 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 36,843 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 37,044 थी। स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च -17	मार्च-18
अधिकारी वर्ग	16247	17166
लिपिक वर्ग	13001	12300
अधीनस्थ वर्ग	7796	7377
कुल संख्या	37044	36843

अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम
i. सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को स्वामित्व निधि रु. 100.67 करोड़ थी.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का सकल अग्रिम रु. 1264.82 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को 1322.62 करोड़ था.
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ वर्ष-दर-वर्ष 52.54% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 16.84 करोड़ हो गया, जो 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रु. 11.04 करोड़ था.

ii. सेंट्रल बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

- ❖ सेन्ट्रल बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रही है.
- ❖ कंपनी, डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन :

- ❖ कंपनी ने 31 मार्च, 2018 की समाप्ति में रु. 2.58 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो गत वर्ष रु. 2.77 करोड़ था.
- ❖ खंडवार अर्जन :

(राशि ₹ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
निष्पादक न्यास से शुल्क	34,85,414	36,97,765
डिबेंचर एवं सुरक्षा न्यास से शुल्क	2,90,70,143	2,69,31,110
अन्य आय (ब्याज)	2,73,56,199	3,02,88,904
कुल ...	5,99,11,756	6,09,17,779

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है. इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है.
- ❖ बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष है.
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- ❖ दिसम्बर 2017 के अंत तक हमारे बैंक के पास कुल 1 क्वाचा प्रति शेयर के 8,32,00,000 शेयर है.
- ❖ पिछले वर्ष की अपेक्षा बैंक की जमा 25.87% बढ़ गई है और अग्रिम 28.83% बढ़ गये हैं.
- ❖ कैलेंडर वर्ष 2017 में बैंक ने क्वाचा 109.93 एमआईओ (रु. 69.84 करोड़) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है.
- ❖ वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2017 के लिए लाभांश की घोषणा की है. तदनुसार, हमारे बैंक ने दिनांक 08.03.2018 को यूएस डॉलर 953,838 के समतुल्य रु. 6,19,94,7323/- का लाभांश प्राप्त किया है.



iv. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- दिनांक 31 मार्च, 2018 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 48 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है।

बढ़ते कदम

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रिटेल में वृद्धि 10.96% अनुमानित है। सकल अग्रिम में रिटेल ऋण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक 28.58% है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ने तीन आक्रामक अभियानों की योजना बनाई है।

क्र.सं.	कैम्प प्रकार	संभावित अवधि
1	शैक्षणिक मौसम	मई-जुलाई 2018
2	मानसूनी मौसम	जून- सितम्बर 2018
3	त्यौहारी मौसम	सितम्बर-दिसम्बर 2018

- टीएटी में कमी को बढ़ावा देने हेतु उधारकर्ताओं की आसानी से पहचान करने, केवायसी प्रमाणीकरण, आय सत्यापन इत्यादि के आधार पर शाखा प्रबंधकों को त्वरित निर्णय लेने हेतु मोबाईल एप को विकसित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक एवं पीएमटीएफ द्वारा सूक्ष्म उद्यमों हेतु निर्धारित लक्ष्य एएनबीसी का 7.5% प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इंडिया योजना, केवीआईसी/पीएमईजीपी योजनाओं के अंतर्गत ऋण और सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण बढ़ाने पर हमारा जोर है।

पुरस्कार एवं सम्मान

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु बैंक को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया।
- विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकिंग ब्रांड पर ब्रांड फाइनेन्स द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के फरवरी 2018 अंक में हमारे बैंक को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत 9वें स्थान पर रखा गया है एवं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 500 सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैंकिंग ब्रांड में विश्व के 500 बैंकों में हमारे बैंक को 391वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- इकोनॉमिक टाइम्स के 14-20 फरवरी, 2018 के अंक में प्रकाशित “मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स 2017” सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे बैंक ने पीएसयू बैंकों में वर्ष 2016 में 6वें स्थान के समक्ष वर्ष 2017 में 5वें स्थान पर पहुंच कर अपनी प्रगति दर्ज की। “बेस्ट सर्विस ब्रैंड” की श्रेणी के अंतर्गत इसी सर्वेक्षण में हमारे बैंक ने वर्ष 2016 में अपने 20वें स्थान की तुलना में वर्ष 2017 में 17वें स्थान पर पहुंच कर अपनी प्रगति दर्ज की है।
- साइबर सुरक्षा डोमेन, विशेष तौर पर “शिक्षा एवं जागरूकता” क्षेत्र में हमारे बैंक द्वारा की गयी पहल की सराहना करते हुए हमारे बैंक को स्कॉच आर्डर ऑफ़ मेरिट अवार्ड के साथ साथ स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया गया।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेरधारकों के शेर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।

निदेशक मंडल

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।
- समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, बीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, बीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	-इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. -एक्विज बैंक -एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोर्पोरेशन -इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस	जी हाँ
2.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ



क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
3.	श्री पी रमण मूर्ती	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेंट बैंक होम फाइनेंस लि. -न्यू इंडिया एश्युरेन्स कं. लि.	जी हां
4	श्री बी एस शेखावत	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
5.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से 16.08.2017 तक	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	16.08.2017 तक नामांकन	निरंक	जी नहीं
6.	श्री गोविंद मोहन	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	17.08.2017 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आरसी, वीसी, एमआरसी, एचआर, नामांकन	आरसी, नामांकन	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
7.	श्री शेखर भटनागर	भारिबै द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग एवं वित्त	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं
8.	श्री एस. बंधोपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	01.07.2015 से 17.03.2018 तक	100	प्रशासन	एसीबी आरएमसी आईटीसी एसआरसी, सीएससी, एमआरसी, एचआर, एलवीएफसी, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	17.03.2018 तक एसआरसी 09.02.2018 तक एसीबी	निरंक	जी नहीं



क्र. सं.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2018 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2018 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2017 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
9.	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी, एलवीएफसी, आईटीएस, एसआरसी, आरएमसी, एमआरसी, एचआर, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	आईटीएस	फिटमेक सर्विसेस प्रा. लि.	जी नहीं
10	श्री एन नित्यानंद	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	21.06.2016 से	निरंक	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसआरसी, सीएससी, नामांकन, आरसीएनसीबी, सीआरआई डब्ल्यूडी	05.03.2018 से एसीबी	निरंक	जी नहीं
11	डॉ. आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	27.12.2017 से	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसी, आरएमसी, एलवीएफसी, नामांकन	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

- एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- एसआरसी - स्टैकहोल्डर सम्बंध समिति
- आरसी - पारिश्रमिक समिति
- वीआईजी - सतर्कता समिति
- सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति
- एचआर - मानव संसाधन समिति
- एमआरसी - वसूली समिति की निगरानी
- सीआरसी - पूंजी उगाही समिति
- नामांकन - नामांकन समिति
- आरसीएनसीबी - उदघोषित गैर सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- सीआरआईडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडक की 14 बैठकें हुईं.



निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियां, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2018 को इस समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 2 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक तथा एक अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं, एक पद रिक्त है. अंशकालीन निदेशक का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की 13 बैठकें आयोजित की गईं.

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 को निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. रु. 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, रु.10 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, रु.15 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), रु. 25 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), रु.50लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं रु.1करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है. वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभारी महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन, ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं. वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 34 बैठकें आयोजित की गईं.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. दिनांक 31.03.2018 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामांकित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है. वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 12 बैठकें आयोजित की गईं.

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य, बैंक द्वारा सामना किए जा रहे कुल जोखिमों का आंकलन करना है एवं जोखिम का स्तर निर्धारित करना जो बैंक के हित में बहुत अच्छी होगी तथा बैंक के परिचालन में आ रहे जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं पैमाना निर्धारित करने के लिए अन्य जोखिम प्रबंधन संस्थाओं के साथ सहयोग करना है. मूल्यांकित वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं.

पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों को पारिश्रमिक

- ❖ पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है.
- ❖ गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 20,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 10,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता था. जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है
- ❖ वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.सं	नाम	रु. लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	30.13
2.	श्री बी. के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक	23.70
3.	श्री पी. आर. मूर्ती, कार्यपालक निदेशक	23.54
4.	श्री बी. एस. शेखावत, कार्यपालक निदेशक	10.93

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 8,60,000/- (रुपये आठ लाख साठ हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 11,20,000/- (रुपये ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया।

नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के साथ पठित डीबीओडी नं. बीसीनं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के शर्तों के अनुसार, बोर्ड की पात्रता अर्थात (i) शैक्षिक योग्यता, (ii) अनुभव एवं विशेषज्ञता का क्षेत्र एवं (iii) ट्रेक रिकॉर्ड और ईमानदारी, के आधार पर अधिनियम (अर्थात शेयरधारक निदेशक) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत वर्तमान निर्वाचित निदेशक(कों)/ऐसे व्यक्ति जो निदेशक नियुक्त होने वाले हैं, की 'फिट एवं प्रॉपर' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए बैंक की नामांकन समिति का गठन किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, शेयर धारक निदेशक - श्री एस. बंधोपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल के फिट एवं प्रॉपर मानदंडों को निर्धारित करने के लिए दिनांक 28.06.2017 को नामांकन समिति की बैठक आयोजित की गई थी एवं समिति के अनुसार श्री एस. बंधोपाध्याय एवं श्री केतुल आर. पटेल 'फिट एवं प्रॉपर स्थिति' में हैं, जो तीन वर्ष अर्थात 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1070 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयर धारक निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं।

शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्ट्रेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है। वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है। सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं। दिनांक 17 मार्च, 2018 तक श्री सुप्रतिम बंधोपाध्याय शेयरधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष थे। तथापि, बैंक के निदेशक पद से उनके पदत्याग दे देने के अनुवर्ती, दिनांक 17 मार्च, 2018 को कार्य अवधि की समाप्ति से प्रभावी, अध्यक्ष का पद रिक्त है। अगली बैठक में एसआरसी के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अंशकालीन गैर सरकारी निदेशकों का आवर्तन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक) के दौरान निवेशक शिकायत का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के पत्र	निरंक
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	67
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	51
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	2
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	1
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	6
8	प्राप्त कुल शिकायतें	127
9	निपटाई/ध्यान दी गई कुल शिकायतें	127
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।



अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, निर्गम बैंकर, मर्चेन्ट बैंकिंग एवं डिबेंचर ट्रस्टी गतिविधि के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दिनांक 27-03-2018 को बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति रु. 10 के अंकित मूल्य की कुल रु. 5158 करोड़ की 65,04,06,299 इक्विटी शेयर्स (कुल रु. 323 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर रु. 73.15 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर रु. 83.15 की निर्गम मूल्य पर 3,88,45,460 इक्विटी शेयरों एवं कुल रु. 4835 करोड़ की प्रति इक्विटी शेयर रु. 69.06 की प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर रु. 79.06 की निर्गम मूल्य पर 61,15,60,839 इक्विटी शेयरों को समाविष्ट कर) का जारीकरण एवं आबंटन द्वारा रु. 5158 करोड़ इक्विटी पूंजी (दिनांक 29-12-2017 को बैंक द्वारा प्राप्त रु. 323 करोड़ सहित) की उगाही की है.

पूँजी पर्याप्त अनुपात को मजबूत करने एवं बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ये निधियां टियर I एवं टियर II को प्राथमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उगाही की है. उगाही गई निधि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया गया है.

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 11वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : शनिवार, दिनांक 30 जून, 2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला.

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 27 जून, 2018 से 30 जून, 2018 (दोनों दिवस सहित)
3. वर्ष 2017-18 के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है.

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण :

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	दसवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2017, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
2.	नवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2016, पूर्वान्ह 11.00 बजे	9वां माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021
3.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वान्ह 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:
दिनांक 31.03.2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टियर-II बॉण्ड्स पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (रु.करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II- सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II- सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II- सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II- सीरीजIII	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II- सीरीजIV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II- सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II- सीरीजVI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	आईएनई483A09260
बासल III अनुपालित क्र. II	07.03.2017	500.00	आईएनई483A09278
कुल		5155.00	

ये सभी बॉण्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083

टेली.: 022-49186270

फैक्स: 022-49186060

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेलआईडी:agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

शेयर्स का डिमेटरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डिमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.



दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	112	135548	0.01
एनएसडीएल	83908	325466796	12.43
सीडीएसएल *	51362	2292553411	87.56
कुल	135382	2618155755	100.00

* दिनांक 27.03.2018 को, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को डीमेटरियलाइड रूप में 65,04,06,299 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं जो दिनांक 06.04.2018 से बीएससी एवं एनएससी पर लेनदेन के लिए सूचीबद्ध एवं स्वीकृत किए गये हैं।

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को “अदावाकृत उचंत खाता” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	234	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया।	निरंक	निरंक
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए।	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या।	234	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है।

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24 अप्रैल, 2018

[राजीव ऋषि]

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निर्धारित शर्तों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन किया है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 17 मई, 2018



<p>लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069</p>	<p>पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815, तुलसी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021</p>
<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) की दिनांक 31 मार्च, 2018 की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन एकल वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2400 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा इनमें उन 2265 शाखाओं के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.94%, जमाओं का 21.67%, ब्याज आय का 5.16% तथा ब्याज व्यय की 19.09% हिस्सेदारी है।

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

- इन एकल वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इस प्रबंधतंत्र की उत्तरदायित्व में एकल वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन एकल वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके।
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे एकल वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें एकल वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की एकल वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ एकल वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।
- हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है।



अभिमत

6. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में :
- (ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.
- (बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं
- (सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

7. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं.
8. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- (ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.
- (बी) हमारे संज्ञापन में आए लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं. एवं
- (सी) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के द्वारा बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.
9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- (ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत है.
- (बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी, जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है.
- (सी) मारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

<p>कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई</p> <p>(सीए गौरव लोढ़ा) भागीदार सदस्यता सं. 507462</p>	<p>कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू</p> <p>(सीए वी.पी. चतुर्वेदी) भागीदार सदस्यता सं. 015585</p>
<p>कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन</p> <p>(सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002</p>	<p>कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू</p> <p>(सीए वी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254</p>

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018



<p>लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069</p>	<p>पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815, तुलसी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021</p>
<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ('दि बैंक') के दिनांक 31 मार्च, 2018 के संलग्न संक्षिप्त तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण तथा उन पर टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां के नाम से संदर्भित किया गया है) की जांच है।

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ नं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई हैं और हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 17 मई, 2018 में कवर की गई है।

<p>कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई (सीए गौरव लोढ़ा) भागीदार सदस्यता सं. 507462</p>	<p>कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू (सीए बी.पी. चतुर्वेदी) भागीदार सदस्यता सं. 015585</p>
<p>कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन (सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002</p>	<p>कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू (सीए बी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254</p>

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (गत वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं		
पूंजी	2,61,815.57	1,90,217.10
आरक्षित निधियां एवं आधिरोष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	2,06,359.79	2,06,359.79
पूंजी आरक्षित निधियां (नोट 1)	4,23,938.11	4,22,264.75
शेयर प्रीमियम	16,99,087.91	11,86,586.39
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	2,52,667.72	2,47,025.13
आयकर अधिनियम 36(1)(VIII) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	10,000.00	10,000.00
लाभ-हानि खाते में शेष	(10,55,315.76)	(5,35,639.17)
कुल	15,36,737.77	15,36,596.89
आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि जमाएं	-	68,300.00
मांग जमा	14,68,648.68	13,20,712.52
बचत बैंक जमा	1,10,50,928.92	1,03,10,249.78
सावधि जमा	1,69,64,308.13	1,80,36,157.04
कुल	2,94,83,885.73	2,96,67,119.34
उधारी		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	-	1,100.53
(बी) अन्य बैंकों से	115.34	2,89,206.64
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	41,086.28	69,617.36
(डी) अरक्षित मोचनिये बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	77,000.00	1,15,910.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	2,88,500.00	2,88,500.00
(एफ) नविन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	13,910.00	13,910.00
(जी) अरक्षित मेचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स	1,50,000.00	1,50,000.00
2. भारत से बाहर उधारियां	-	-
कुल [1 और 2]	5,70,611.62	9,28,244.53
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	69,186.35	75,023.69
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	55,264.39	-
उपचित ब्याज	77,601.43	81,337.57
मानक आस्तियों पर प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-	-
अन्य	5,67,424.66	7,93,355.29
कुल	7,69,476.83	9,49,716.55
कुल पूंजी एवं देयताएं	3,26,22,527.52	3,33,40,194.41
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	35,99,990.87	75,08,675.51
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि		
भारत में बैंकों में शेष	11,600.90	15,715.39
भारत में मांग व अल्प सूचना पर शेष राशि	2,01,073.48	3,49,998.52
भारत के बाहर शेष राशि	1,10,178.27	2,263.80
कुल	3,22,852.65	3,67,977.71
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	81,31,713.45	74,07,073.28
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(सी) शेयर्स	1,26,116.55	1,35,701.32
(डी) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	14,22,051.98	10,35,124.02
(ई) अनुषंगियां एवं/अथवा संयुक्त उद्यम	30,399.87	30,399.87
(एफ) अन्य	5,48,130.52	5,96,440.45
2. भारत से बाहर	4,748.85	4,748.85
कुल [1 और 2]	1,02,63,161.22	92,09,487.79



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (गत वर्ष)
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	1,21,087.70	1,62,945.64
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,53,098.54	65,89,911.81
(सी) मीयांदा ऋण	84,80,031.47	71,87,019.53
2. भारत से बाहर	-	-
कुल [1 और 2]	1,56,54,217.71	1,39,39,876.98
अचल आस्तियां	4,34,338.11	4,29,037.40
अन्य आस्तियां		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	30,615.59
उपचित ब्याज	1,67,855.95	1,49,252.13
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	5,34,812.35	5,27,754.62
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	5,36,803.00	2,35,368.00
दावों के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	1,998.46	1,793.63
अन्य	11,06,497.20	9,40,355.05
कुल	23,47,966.96	18,85,139.02
कुल आस्तियां	3,26,22,527.52	3,33,40,194.41
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	11,039.50	10,905.47
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	2,97,990.58	3,29,813.81
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	92,83,133.29	54,71,055.65
ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	10,72,501.31	11,17,404.25
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	12,30,092.67	13,79,653.86
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	44,267.73	26,077.60
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	761.40	1,392.25
कुल	1,19,39,786.47	83,36,302.88
संग्रहण के लिए बिल	14,48,606.70	9,16,893.53

बी. एस. शोखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ति
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
आर्जित ब्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	14,47,875.36	16,28,341.21
निवेश पर	7,13,736.32	7,37,184.85
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	2,05,854.42	63,882.42
अन्य	36,085.61	36,732.35
कुल	24,03,551.71	24,66,140.83
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,26,247.51	92,929.44
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	57,667.55	1,54,165.57
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(449.82)	(124.21)
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	14,090.54	16,906.88
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	1,009.72	1,281.58
विविध आय	63,669.63	22,405.14
कुल	2,62,235.13	2,87,564.40
कुल आय	26,65,786.84	27,53,705.23
व्यय		
प्रदत्त ब्याज		
जमा राशियों पर	16,22,268.90	17,33,039.66
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	457.04	370.22
अन्य	1,29,124.85	75,329.70
कुल	17,51,850.79	18,08,739.58
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	3,98,337.03	4,21,431.17
किराया, कर एवं बिजली	47,467.38	44,604.06
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3,626.98	4,378.60
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	2,414.56	3,332.85
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	26,030.90	25,737.12
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	106.22	81.60
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	1,985.92	2,991.63
विविध प्रभार	1,712.72	1,998.25
डाक, तार एवं टेलीफोन इत्यादि	6,634.47	4,693.46
मरम्मत एवं रखरखाव	11,327.48	12,074.55
बीमा	35,717.63	32,534.11
अन्य	1,05,275.60	82,245.38
कुल	6,40,636.89	6,36,102.78
कुल व्यय	23,92,487.68	24,44,842.36



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018	दिनांक 31 मार्च, 2017
	को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	(46,075.30)	39,443.86
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	10,54,358.12	6,53,670.00
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	(94,431.20)	(16,381.49)
अन्य (आयकर छोड़कर)	1,49,044.28	(14,979.73)
कुल	10,62,895.90	6,61,752.64
कुल व्यय एवं प्रावधान	34,55,383.58	31,06,595.00
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	(7,89,596.74)	(3,52,889.77)
घटाएं: पूर्वावधि मद	-	-
अपवाद स्वरूप/पूर्वावधि कर पूर्व लाभ/(हानि)	(7,89,596.74)	(3,52,889.77)
वर्तमान कर	22,328.00	-
आस्थगित कर	(3,01,435.00)	(1,08,980.00)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(5,10,489.74)	(2,43,909.77)
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	(5,35,639.17)	(2,53,355.57)
कुल	(10,46,128.91)	(4,97,265.34)
विनियोजन		
निम्नलिखित को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	-
निवेश प्रारक्षित	9,186.85	38,373.83
कर्मचारी कल्याण निधि	-	-
राजस्व प्रारक्षित	-	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी	-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी	-	-
बीमा के बदले निधि	-	-
लाभांश कर	-	-
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	(10,55,315.76)	(5,35,639.17)

बी. एस. शोखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018



दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. तैयार करने का आधार :

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां हैं (इसके बाद इन्हें 'वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां' के नाम से संदर्भित किया गया है) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116.2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 'वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं।

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां:

लेखे एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं।

(बी. एस. शोखावत)
कार्यपालक निदेशक

(पी. रमण मूर्ती)
कार्यपालक निदेशक

(बी.के. दिवाकर)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव ऋषि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई, 2018



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	(7,895.97)	(3,528.90)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	260.31	257.37
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	794.17	394.42
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	9,564.62	6,215.97
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	6.31	(163.81)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	263.86	170.95
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि) (शुद्ध)	4.50	1.24
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(10.10)	(12.82)
	उप योग	2,987.70	3,334.42
II	समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	(1,832.33)	30,487.00
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(3,576.33)	657.56
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1,835.07)	(2,511.47)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(26,708.03)	34,394.85
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(11,330.90)	(3,621.76)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,807.22)	197.62
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	(293.85)	(1,090.91)
	उप योग	(47,383.73)	58,512.89
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(44,396.03)	61,847.31
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	4.12	3.06
	अचल आस्तियों की खरीद	(314.25)	(191.53)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	10.10	12.82
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(300.03)	(175.65)
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	5,158.00	1,453.79
	शेयर आवेदन राशि	-	100.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	5,158.00	1,553.79



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नकद प्रवाह विवरणी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	(39,538.06)	63,225.45
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	75,086.76	14,069.51
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	3,679.74	1,471.54
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	78,766.50	15,541.05
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	35,999.91	75,086.76
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	3,228.53	3,679.74
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	39,228.44	78,766.50

नोट्स:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

वी. एस. शेखावत
कार्यपालक निदेशकपी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशकबी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशकराजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकडॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशकशेखर भटनागर
निदेशककेतुल आर. पटेल
निदेशकएन. नित्यानंद
निदेशकप्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशककृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ईकृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यूकृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एनकृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू(सीए गौरव लोढ़ा)
भागीदार
सदस्यता सं. 507462(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17 मई, 2018



समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

<p>लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069</p>	<p>पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815, तुलसियानी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021</p>
<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2018 को हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक'), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में संबोधित किया गया है) के लाभ अथवा हानि की हिस्सों की समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें 'समेकित वित्तीय विवरणियां' से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें मूल बैंक, इसकी 2 अनुषंगियों एवं 4 एसोशिएट्स की वित्तीय विवरण समाहित है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह एवं इनके अनुषंगियों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों सहित निर्धारित लेखांकन नितियां तथा प्रक्रियाओं के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

1. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा 'इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया' द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके।
2. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है। लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं। एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।
3. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में 'अन्य मामलों' में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

अभिमत

निम्नलिखित पैराग्राफ के अन्य मदों में दिए अनुसार अनुषंगियों तथा एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

- समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2018 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
- समेकित लाभ-हानि खातों के मामले में समूह एवं उनके एसोशिएट्स की उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं
- समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

अन्य मामले

(i) हमने दो अनुषंगियों की समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2018 को कुल आस्तियां रु.1375.29 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.156.64 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह रु. 9.80 करोड़ दर्शाया गया है एवं दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दो एसोशिएट्स ने रु. 54.44 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है।

ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं जिनका रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है एवं हमारा मत पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्टों पर आधारित है।

(ii) एक एसोशिएट्स उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में, रु. 1.07 करोड़ का लाभ का हिस्सा प्रबंधन द्वारा दिए अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत है कि जहां तक इस राशि का संबंध है यह अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर इस एसोसिएट्स के मामले में शामिल है।

(iii) एक एसोसिएट्स इंडो जाम्बिया बैंक लि. के मामले में, जिनकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त नौ माह का लाभ हिस्सा लिया गया है एवं प्रबंधन द्वारा दिए अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही का लाभ हिस्सा लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत है कि जहां तक इस लाभ के हिस्से रु. 15.33 करोड़ का संबंध है यह दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इस एसोसिएट्स के मामले में शामिल है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारे मत में परिवर्तन नहीं होगा।

<p>कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई</p> <p>(सीए एच. के. वर्मा) भागीदार सदस्यता सं. 055104</p>	<p>कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू</p> <p>(सीए बी.पी. चतुर्वेदी) भागीदार सदस्यता सं. 015585</p>
<p>कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन</p> <p>(सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002</p>	<p>कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू</p> <p>(सीए बी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254</p>

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई, 2018



<p>लोढ़ा एण्ड कं. सनदी लेखाकार 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069</p>	<p>पाठक एच डी एण्ड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार 814-815, तुलसियानी चेम्बर्स, 212, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400021</p>
<p>एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार, 504, कीर्तिमहल, 19, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008</p>	<p>बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार, 21/168, आनंद नगर ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055</p>

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक') एवं इसकी अनुषंगियों (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में माना गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा उनके संलग्न टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां के नाम से सम्बोधित किया गया है) की जांच की गई।

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, इंस्टिट्यूट ऑफ़ चाार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' एवं लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल बैंक द्वारा तैयार किए गए हैं और दिनांक 23 मई, 2018 को मूल बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है।

<p>कृते लोढ़ा एंड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 301051ई (सीए एच. के. वर्मा) भागीदार सदस्यता सं. 055104</p>	<p>कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू (सीए बी.पी. चतुर्वेदी) भागीदार सदस्यता सं. 015585</p>
<p>कृते एस. के. मेहता एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 000478एन (सीए ज्योति बग्गा) भागीदार सदस्यता सं. 087002</p>	<p>कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार सनदी लेखाकार एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू (सीए बी. एम. अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं. 033254</p>

स्थान : मुंबई

दिनांक : 25 मई, 2018



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (गत वर्ष)
पूंजी एवं देयताएं		
पूंजी	2,61,815.58	1,90,217.10
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष		
सांविधिक आरक्षित निधियां	2,07,591.31	2,07,591.31
पूंजी आरक्षित निधियां	4,23,938.12	4,22,264.76
शेयर प्रीमियम	16,99,087.91	11,86,586.39
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां	2,49,182.68	2,43,297.23
आयकर अधिनियम 36(1)(VIII) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	12,309.15	11,737.69
लाभ-हानि खाते में शेष	(10,32,878.65)	(5,08,851.64)
कुल	15,59,230.52	15,62,625.74
अल्पांश ब्याज	3,980.88	3,462.26
आबंटन लम्बित रहते शेयर आवेदन राशि जमाएं	-	68,300.00
मांग जमा	14,67,817.85	13,19,677.47
बचत बैंक जमा	1,10,50,928.92	1,03,10,249.78
सावधि जमा	1,70,16,701.98	1,81,00,995.41
कुल	2,95,35,448.75	2,97,30,922.66
उधारी		
1. भारत में उधारी		
(ए) भारतीय रिजर्व बैंक से	-	1,100.53
(बी) अन्य बैंकों से	29,071.91	3,20,392.49
(सी) अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से मोचनीय	41,086.28	69,617.36
(डी) आरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स (गौण कर्ज)	80,000.00	1,18,810.00
(ई) अपर टियर II बॉण्ड्स	2,88,500.00	2,88,500.00
(एफ) नवोन्मेषी बेमियादी कर्ज लिखत	13,910.00	13,910.00
(जी) आरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बॉण्ड्स (टियर II)	1,50,000.00	1,50,000.00
2. भारत के बाहर उधारी	-	-
कुल [1 और 2]	6,02,568.19	9,62,330.38
अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
देय बिल	69,186.35	75,023.69
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	55,264.39	-
उपचित ब्याज	77,601.43	81,034.68
मानक आस्तियों पर प्रावधान	50,046.50	54,463.58
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-	-
अन्य	5,19,787.27	7,41,112.20
कुल	7,71,885.94	9,51,634.15
कुल पूंजी एवं देयताएं	3,27,34,929.86	3,34,69,492.29
आस्तियां		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	36,00,011.96	75,08,718.01
भारत में बैंकों में शेष	14,977.23	18,516.49
भारत में मांग व अल्प सूचना पर राशि	2,01,073.48	3,49,998.52
भारत के बाहर बैंकों में शेष राशि	684.27	2,263.80
भारत के बाहर मांग व अल्प सूचना पर राशि	1,09,494.00	2,263.80
कुल	3,26,228.98	3,70,778.81
निवेश		
1. भारत में		
(ए) सरकारी प्रतिभूतियां	81,34,689.49	74,10,049.32
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(सी) शेयर्स	1,26,116.55	1,35,701.32
(डी) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	14,22,051.98	10,35,124.02
(ई) एशोसिएट्स में निवेश	32,443.10	37,779.72
(एफ) अन्य	5,48,280.52	5,96,440.45
2. भारत से बाहर	13,364.83	12,561.29
कुल [1 और 2]	1,02,76,946.47	92,27,656.12



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित तुलन पत्र

(राशि लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018 को (वर्तमान वर्ष)	दिनांक 31 मार्च, 2017 को (गत वर्ष)
अग्रिम		
1. भारत में		
(ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	1,21,087.70	1,62,945.64
(बी) नकद उधार, ओडी एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,67,854.03	66,03,962.48
(सी) मीयांदी ऋण	85,59,010.93	72,79,488.30
2. भारत से बाहर	-	-
कुल [1 और 2]	1,57,47,952.66	1,40,46,396.42
अचल आस्तियां	4,34,396.44	4,29,104.04
अन्य आस्तियां		
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	30,615.61
उपचित ब्याज	1,68,330.27	1,49,452.08
अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया	5,35,020.38	5,28,211.30
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	5,35,758.50	2,34,436.16
दावों के समाधान में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
स्टेशनरी एवं स्टैम्प	1,998.46	1,793.63
अन्य	11,07,396.78	9,41,441.15
कुल	23,48,504.39	18,85,949.93
समेकन पर गुडविल	888.96	888.96
कुल आस्तियां	3,27,34,929.86	3,34,69,492.29
आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	11,064.50	10,930.47
अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग	2,98,420.36	3,30,243.59
आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	761.40	1,392.25
बकाया वायदा विदेशी मुद्रा सविदाओं के कारण देयता	92,83,133.29	54,71,055.65
प्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी	10,72,501.31	11,17,404.25
स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	12,30,092.67	13,79,653.86
अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	44,292.73	26,102.59
कुल	1,19,40,266.26	83,36,782.66
संग्रहण के लिए बिल	14,48,606.70	9,16,893.53

बी. एस. शोखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तपन रे
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए एच. के. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

(रु. लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018	दिनांक 31 मार्च, 2017
	को समाप्त वर्ष के लिए (वर्तमान वर्ष)	को समाप्त वर्ष के लिए (गत वर्ष)
आय		
अर्जित व्याज		
अग्रिमों/बिलों पर	14,60,094.58	16,39,170.64
निवेश पर	7,14,270.65	7,37,679.56
रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर	2,05,854.42	63,882.42
अन्य	36,091.99	36,763.37
कुल	24,16,311.64	24,77,495.99
अन्य आय		
कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,26,573.07	93,235.73
निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ	57,667.55	1,54,165.57
भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों पर की बिक्री पर शुद्ध लाभ	(449.17)	(124.12)
विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ	14,090.54	16,906.88
भारत/विदेश में अनुषंगी कम्पनियों एवं/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि द्वारा आय	-	-
विविध आय	64,158.77	22,931.79
कुल	2,62,040.76	2,87,115.85
कुल आय	26,78,352.40	27,64,611.84
व्यय		
प्रदत्त व्याज		
जमा राशियों पर	16,22,075.41	17,32,720.28
भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधार राशियों पर	9,110.46	8,430.86
अन्य	1,29,146.24	75,493.89
कुल	17,60,332.11	18,16,645.03
परिचालन व्यय		
कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	3,99,004.72	4,22,120.11
किराया, कर एवं बिजली	47,661.50	44,795.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3,638.88	4,388.70
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	2,418.20	3,339.11
बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	26,049.89	25,769.28
निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	139.30	115.19
लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,010.56	3,023.44
विधि प्रभार	1,860.76	2,164.89
डाक, तार एवं टेलीफोन इत्यादि	6,654.75	4,717.12
मरम्मत एवं रखरखाव	11,337.62	12,082.21
बट्टाकृत अशोध्य ऋण	7.31	51.30
बीमा	35,720.72	32,538.27
अन्य	1,06,042.76	82,722.69
कुल	6,42,546.97	6,37,827.32
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
निवेशों के अवमूल्यन पर प्रावधान	79,417.00	39,443.86
अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	9,56,664.69	6,21,953.13
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	551.10	(16,297.82)
अन्य (आयकर छोड़कर)	26,396.04	17,291.04
कुल	10,63,028.83	6,62,390.21
कुल व्यय एवं प्रावधान	34,65,907.91	31,16,862.56



दिनांक 31 मार्च, 2018 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त समेकित लाभ-हानि खाता

(रु. लाख में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2018	दिनांक 31 मार्च, 2017
	को समाप्त वर्ष के लिए	को समाप्त वर्ष के लिए
	(वर्तमान वर्ष)	(गत वर्ष)
पूर्वावधि मदों एवं करों से पूर्व लाभ/(हानि)	(7,87,555.51)	(3,52,250.72)
घटाएं: पूर्वावधि मद	(30.43)	(58.65)
कर पूर्व पूर्वावधि मद के पश्चात लाभ/(हानि)	(7,87,585.94)	(3,52,309.37)
वर्तमान कर	23,310.69	686.17
आस्थगित कर	(3,01,339.56)	(1,08,807.73)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(5,09,557.07)	(2,44,187.81)
जोड़ें: एशोसिएट्स में आय का शेयर	(3,803.86)	(1,490.23)
अल्पांश ब्याज घटाएं	(599.36)	(258.06)
घटाएं: अधिग्रहण पूर्व लाभ	-	-
समूह लाभ	(5,13,960.29)	(2,45,936.10)
आगे लाया गया लाभ/हानि	(5,08,851.64)	(2,23,690.74)
एशोसिएट्स में निवेश के अंतरण के लिए समेकित लाभ को आगे ले जाए गए में कमी को घटाया	-	-
कुल	(10,22,811.93)	(4,69,626.84)
विनियोजन		
निम्नलिखित को अंतरित :		
सांविधिक प्रारक्षित	-	-
निवेश प्रारक्षित	9,186.85	38,373.83
कर्मचारी कल्याण निधि	-	-
राजस्व प्रारक्षित	242.86	120.81
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी	-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी	-	-
बीमा के बदले निधि	-	-
लाभांश कर	65.55	57.11
36 (1) (viii) के अंतर्गत विशिष्ट आरक्षित निधियां	571.46	383.22
एनएचबी दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट आरक्षित निधियों पर डीटीएल का विनियोजन	-	272.12
कम्पनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर आरक्षित निधियां	-	17.71
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	(10,32,878.65)	(5,08,851.64)

बी. एस. श्रेखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तपन रे
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए एच. के. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018



**दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी**

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करों पूर्व लाभ/(हानि)	(7,913.90)	(3,523.09)
I	समायोजन हेतु:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	260.50	257.69
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	794.17	394.44
	गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	9,566.65	6,219.53
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	5.51	(162.98)
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	263.96	172.91
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	4.49	1.24
	उप-योग	2,981.38	3,359.74
II	समायोजन हेतु:		
	जमा में वृद्धि (कमी)	(1,954.74)	30,622.92
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(3,597.62)	703.19
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(1,826.94)	(2,561.05)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(26,582.21)	34,211.29
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(11,287.07)	(3,569.42)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,808.19)	203.63
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	(301.02)	(1,099.63)
	उप-योग	(47,357.80)	58,510.93
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	(44,376.42)	61,870.67
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	4.13	3.06
	अचल आस्तियों की खरीद	(314.36)	(191.68)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	(310.23)	(188.62)
सी	वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	5,158.00	1,453.79
	शेयर आवेदन राशि	-	100.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(3.25)	(8.75)
	लाभांश कर	(0.66)	(1.78)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	5,154.09	1,543.26



दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2018	31- 03- 2017
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि	(39,532.56)	63,225.31
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	75,087.18	14,070.20
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	3,707.79	1,499.45
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	78,794.97	15,569.65
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	36,000.12	75,087.18
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	3,262.29	3,707.79
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	39,262.41	78,794.97

नोट्स:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार 'अप्रत्यक्ष माध्यम' के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समोहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

बी. एस. शोखावत
कार्यपालक निदेशक

पी. रमण मूर्ती
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तपन रे
अध्यक्ष

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

एन. नित्यानंद
निदेशक

प्रो. (डॉ.) आत्मानंद
निदेशक

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

कृते पाठक एच डी एंड एसोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 107783डब्ल्यू

कृते एस. के. मेहता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000478एन

कृते बोरकर एण्ड मुजुमदार
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101569डब्ल्यू

(सीए एच. के. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 055104

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

(सीए ज्योति बग्गा)
भागीदार
सदस्यता सं. 087002

(सीए बी. एम. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 033254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 मई, 2018

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी # /ग्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री _____

निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति
में श्री/सुश्री. _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____

को शनिवार, 30 जून, 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालयके 9वें माले सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2018 को यह हस्ताक्षरित किया गया।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
(ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, 25 जून, 2018 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ़ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ़ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र “ फॉर्म ‘बी’ ” में न होने पर वैध माना नहीं जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शनिवार 30 जून, 2018 को 11.00 बजे

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
संयुक्त धारक	
उपस्थित प्राक्सीधारका / प्रतिनिधि का नाम स्पष्ट अक्षरों में (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	शनिवार, 30 जून, 2018
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय 9वां माला, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट मुम्बई - 400021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

11वीं वार्षिक सामान्य बैठक - शनिवार, 30 जून, 2018, 11.00 बजे

स्थान : सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वां माला, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट, मुम्बई -400021

पंजीकृत पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी /ग्राहक आईडी / शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्राक्सी/ प्रतिनिधि/
का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्राक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे। तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा। किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।



CHAIRMAN'S MESSAGE

Dear Stakeholders,

I am happy to join the Bank as Non-Executive Chairman, at an arguably challenging time for the banking sector. Notwithstanding the given challenges, the Bank will continue to strive for maximizing shareholder value by adopting best corporate governance practices in the conduct of its business while maintaining high standards of compliance and transparency.

Public sector banks have continued to play a pivotal role in nation building. They have relentlessly worked towards extending banking services to the last mile customers, in line with the government's target of ensuring financial inclusion for all. Central Bank of India remains fully committed to deriving positive outcomes for all stakeholders in this regard.

The green shoots of revival in the world economy are bound to have spillovers on the Indian economy. Advanced economies, particularly the United States, have witnessed relatively impressive growth leading the US Fed to resort to monetary tightening cycle. The oil exporting countries will benefit from the recent surge in crude prices. These exogenous factors do influence India's growth momentum. While growth has picked up from Q3FY18, with impressive growth exhibited in agriculture, construction and manufacturing sectors, recent months have witnessed an increasing pressure on the rupee. Along with rising crude oil prices, this is likely to affect the current account deficit and impact consumer inflation. However, with persistent reform measures being brought in place by the government, the economy is most likely to remain on a self-sustaining growth path.


The Banking Industry has been facing the key challenge of dealing with non-performing assets. I am hopeful that with new reforms like the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code, the Banking Industry is far better placed to ensure recovery and resolution of NPAs in the current year. We need to address the issue with due diligence. In order to meet the challenges of a changing environment, our Bank continues to emphasize on enhancing knowledge and skills in areas such as Risk Management, Credit, Treasury, IT, among others. Usage of analytics surely helps in proper analysis of large volume of data that enables product innovation and ensures optimal solutions. Our Bank has been consistently promoting digitalization and technology in the business. Finally, the importance of human resource and its contribution to the success of an organization is fully understood by our Bank. I am confident that we shall overcome the challenges by redoubling our efforts on all fronts.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Tapan Ray

Place: New Delhi
Date: May 25, 2018



MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The challenges we had been facing in the last couple of years owing to both global and domestic economic scenarios have been felt by Banks in this year as well. However, the positive signs visible in the economic scenario of late are giving us reasons to be hopeful.

Global economy picked up to grow by 3.8% in 2017 from 3.2% in 2016 and expected to maintain momentum in 2018 supported by both advanced and emerging economies. The advanced economies grew by 2.3% in 2017 from 1.7% in 2016. Among the advanced economies, the US had grown by 2.3% in 2017 from 1.5% in 2016. There is a broad based improvement in the macro parameters in US. Inflation picked up in US in 2017 and reached a level of 2.1%. US Fed continued its monetary tightening cycle with gradual rate hikes. In the Euro Area, real GDP grew by 2.3% in 2017. Inflation in the region increased by 1.5% in 2017. Both gross capital formation and industrial production increased in 2017 from the previous year.

As per the 2nd advance estimate of national income 2017-18, real GDP growth is estimated to moderate to 6.6% in 2017-18 vis-à-vis 7.1% in 2016-17. However, the quarterly data had shown that Indian economy is on the track to recover from the 'transitory impact' of some reform measures undertaken recently. GDP growth had exhibited an increasing trend through Q1 to Q3 of FY18. In Q3FY18 GDP grew at an impressive rate of 7.2% from 6.5% in Q2FY18. Agriculture value added grew by 4.1% and manufacturing grew by 8.1% in Q3FY18. Among the service segments, trade, hotel, transport, communication and services related to broadcasting had grown by 9% in Q3FY18.

On the monetary policy front, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) cut the benchmark repo rate by 25 basis points to 6% from 6.25% in August 2017. The MPC cut Statutory Liquidity Ratio (SLR) from 20% to 19.5% in October 2017.

Credit growth in the banking industry has been increasing gradually after demonetization. The credit to deposit ratio also improved in FY18. However, the stressed corporate balance sheets have not let the credit growth to take off to desired level. Asset quality has remained a cause of concern for the banking industry. RBI has put several public sector banks under Prompt Corrective Action framework to refrain from a few riskier activities and preserve capital to strengthen their balance sheets. The Bank recapitalization plan announced by the government is a welcome move to adequately capitalize India's public sector banks. In October 2017, the government announced Rs.2.11 trillion for recapitalization of which Rs.1.35 trillion was to be raised by recapitalization bonds.

Let me now elucidate the highlights of your Bank's performance in the year. During the Financial Year 2017-18, Business of the Bank stood at Rs. 4,72,323 crore as compared to Rs. 4,49,679 crore in the Financial Year 2016-17. The Deposit of the Bank stood at Rs. 2,94,839 crore in the financial year ended March 31, 2018. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 42.46 % as against 39.20 % in Financial Year 2016-17. High Cost Deposits substantially reduced by 93.64 % to Rs. 850 crore in March 31, 2018 from Rs. 13,356 crore in March 31, 2017. Aggregate Core Deposits increased by 3.77 % to Rs. 2,93,989 crore in March 31, 2018 as against Rs. 2,83,315 crore in March 31, 2017.

Asset Quality continued to be the major concern of the Bank since last couple of years. Gross NPA to Gross Advances increased to 21.48 % as on March 31, 2018 from 17.81 % as on March 31, 2017. Net NPA to Net Advances increased to

Abridged Annual Report 2017-18

11.10 % as on March 31, 2018 from 10.20 % as on March 31, 2017. Provision Coverage Ratio improved to 63.31 % as on March 31, 2018 from 58.43 % as on March 31, 2017.

Our continued focus of recoveries yielded better results during the year. Cash Recovery reached Rs. 2403 crore in the financial year ended March 31, 2018 as compared to Rs. 2378 crore in the previous financial year ended March 31, 2017 registering growth of 1.05%. We expect resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC during 2018-19. Nevertheless, the Bank will continue to have the focused approach to maximize NPA recovery and to arrest fresh slippages during 2018-19.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 5.53 % in the Financial Year 2017-18 from 6.20 % in the Financial Year 2016-17. Net Interest Income of the Bank reduced to Rs. 6517 crore from Rs. 6574 crore in Financial Year 2016-17. Non-Interest Income of the Bank stood at Rs. 2623 crore for the financial year ended March 31, 2018 compared to Rs. 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017.

The operating profit of the Bank stood at Rs. 2733 crore as against Rs. 3089 crore in Financial Year 2016-17. However, the Bank has incurred Net Loss of Rs. 5105 crore as compared to Net Loss of Rs. 2439 crore during previous financial year primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments, etc.

As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country, is a source of strength to the Bank. Extensive Coverage through branches enables the Bank to position itself as a major Retail Bank with special focus on Retail, Agriculture and MSME sectors.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2018.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-
Rajeev Rishi

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018



NOTICE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 8,000/- crore (Rupees Eight Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges,



the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."



“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

- 3) To elect one Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as “the Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”), Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notifications”) by passing the following resolution:

“**RESOLVED THAT** one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, read with the Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 25.05.2018

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, Tuesday, the 29th May, 2018 has been fixed as Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of Directors from amongst the shareholders other than the Central Government .

3. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "Proxy or Authorised Representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

7. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2018 (Monday) to 30th June, 2018 (Saturday) (both days inclusive).

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

9. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

11.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).



Please note that the Bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

13. Voting through electronic means

- I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

- (i) The remote e-voting period begins on Wednesday, 27th June 2018 at 10.00 AM and ends on Friday, 29th June 2018 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Monday, 25th June 2018, may cast their vote electronically except Agenda No. 3 for which cut off date is Tuesday, 29th May, 2018. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.



(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Address Sticker pasted on the EGM Notice, indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN of CENTRAL BANK OF INDIA on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.

(xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.



- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 25th June 2018. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
 - III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 25th June 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.
 - IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 25th June 2018, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
 - V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
 - VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
 - VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer’s Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
 - VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer’s Report shall be placed on the Bank’s website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 + CCB ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50% by March 31, 2019. To comply with the Basel III requirement, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the business estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 8,000/- crore (Rupees Eight Thousand Crore Only) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF ONE SHAREHOLDERS' DIRECTOR

• RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than the Government of India hold 13.60% of the equity share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Board of Directors of Central Bank of India shall include one Director representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). Accordingly, one director is required to be elected by the shareholders other than Central Government to fill up the aforesaid vacancy.

Therefore, an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of one director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in the Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant provisions of which are indicated hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nomination is equal to the number of vacancy) or in subsequent election on 30th June, 2018, if there are more contestants. The elected directors shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is, or is deemed to be elected and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

• LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	• Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	• Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	• No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A)(A) to (C)	• Special Knowledge in certain fields
	Section 9 (3AA)	• No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe
	Section 9 (3AB)	• RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
	Section 9 (3B)	• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act.
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Section 13(2)	• Obligation as to fidelity and secrecy
	Clause 9 (4)	• Term of office of elected directors
	Clause 10	• Disqualifications from being elected as a Director of the bank
	Clause 11	• Vacation of office of Directors
	Clause 11A	• Removal from office of an elected Director
Clause 11B	• Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director	
Clause 12 (8)	• Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested	



ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10	• Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	• Voting at General Meetings
	Regulation 63	• Directors to be elected at general meetings
	Regulation 64	• List of Shareholders
	Regulation 65	• Nomination of candidates for election
	Regulation 66	• Scrutiny of nominations
	Regulation 67	• Election disputes
	Regulation 68	• Determination of voting rights
	Regulation 69	• Voting by duly authorized representative
RBI Notification No. DBOD No.BC No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 read with Notification No DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	• Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks

• **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47 /2939.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/Company Secretary, at the Bank's Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday, 15th June 2018.

• **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein:

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
 agricultural and rural economy,
 banking,
 co-operation,
 economics,
 finance,
 law,
 small scale industry,
 any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank;
- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.



(c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

• **DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK**

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director –

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011, if he is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

• **LIST OF SHAREHOLDERS to CONTESTANTS**

A list of Shareholders of the Bank as on **Tuesday, 29th May 2018** will be available for sale on and from **Saturday, 2nd June 2018** onwards on payment of ₹ **50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager-MBD/ Company Secretary, Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from. .

• **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹ 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

• **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on 29th May, 2018, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 29th May, 2018, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

• **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Tuesday, 29th May 2018 being the Specified Date for participating in the election;
- (b) as on Friday, 15th June 2018 (the last date for receipt of nominations), he is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;
- (c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to



be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to Assistant General Manager –MBD & Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;

- (d) the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website- www.centralbankofindia.co.in)

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

- duly filled in Declaration Form;
- nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the Assistant General Manager – MBD & Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Friday, the 15th June 2018**.

• SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- Nominations shall be scrutinized on **Monday, 18th June 2018**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nominations Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01st November 2007 and 23rd May 2011 issued by the Reserve Bank of India.
- If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose. The elected candidates shall assume office from the date next to the date on which they are declared as elected.
- In the event of an election being held, if the valid nominations are more than ONE, the candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. They will assume office on 1st July 2018.
- If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Tuesday, 26th June 2018.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

Anand Kumar Das

Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 25.05.2018



DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of

Shri/Smt. _____, residing at _____

_____ hereby confirm that:

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. _____/DP ID No. _____/Client ID No. _____ as on **Tuesday, 29th May, 2018 being the Specified Date** for participating in the Elections and
- b) I have special knowledge or practical experience in * (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
- c) I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
- d) I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g) I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete; and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No.	
(If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.



NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)
 (Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Sl.No.

To,

The Chairman
 Central Bank of India
 Central Office,
 Chandermukhi, Nariman Point,
 Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 25.05.2018, I, Shri/Smt _____
 a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on
 Tuesday, 29th May, 2018 being the Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby **nominate**
 Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____
 residing at _____
 for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section
 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of
 the shareholders to be held on Saturday, 30th June, 2018.

Signature	
Name	
No. of Shares	
Regd. Folio No.	
(If not Dematerialised)	
DP ID No. and Client ID No.	
(If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____ 2018	
I.	Personal details of the candidate
1.	Name in Full (in block capital letters)
2.	Father's Name (in Full)
3.	Date of Birth
4.	Nationality
5.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
6.	Permanent Address
7.	Present Address (For correspondence)
8.	(1) E-mail ID
	(2) Telephone Number (Landline)
	(3) Cell Phone Number
II.	Qualification and Experience
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).
3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.
III.	Details of Relationships of the candidate
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way [Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014.]
2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013].
3.	Details of shares of the Central Bank of India held, if any, in the name of the candidate: (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or DP ID and client ID).
4. a	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.
4. b	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.
5.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).
6.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.
7.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Central Bank of India Bank or any other bank.
IV.	Professional Achievements
1.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2018		
V.	Proceedings, if any, against the Candidate	
1.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III-2, 4(a),4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
4.	Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ?	
5.	Has the candidate or any of the entities at III-2, 4(a), 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
6.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
7.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same should also be mentioned) re pending, the same also should be mentioned).	
8.	In carrying out his/her duties will the candidate/director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc. ? If so, give particulars.	
9.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars.	
10.	Any other explanation / information in regard to items I to V and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.	
Undertaking I, Son/Daughter of Shri confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.		

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

--

Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member
----------------------------	----------------------------	----------------------------

Date:

Place:



ELECTION OF DIRECTORS

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME, REGULATIONS AND NOTIFICATIONS

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Shareholder Directors shall have to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves, depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the relevant regulations of Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and gist of Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01 November 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23 May, 2011 of Reserve Bank of India, are reproduced below for the information of the shareholders.

I. BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16(1)

No banking company incorporated in India shall have as a director in its Board of directors any person who is a director of any other banking company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall —

(a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or -

(b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of—

(i) any of its directors,

(ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

(iii) any company [not being a subsidiary of the banking company or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government company] of which or the subsidiary or the holding company of which] any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

(iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

(2) Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan, or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of the loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said section 5:

Provided that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit: Provided further that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

(3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

(4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation — In this section—

(a) “loans or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant



considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;

(b) “director” include a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

(5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purposes of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.]

II. BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) :

No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of Board of Directors

Section 9(3)(i):

where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, two directors,
- (III) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub – clause (II) or sub – clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A):

The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following. matters namely,-
 - (i) agricultural and rural economy,
 - (ii) banking,
 - (iii) co-operation,
 - (iv) economics,
 - (v) finance,
 - (vi) law,
 - (vii) small scale industry,
 - (viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;
- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA):

Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track Specified, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3B):

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such



Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy

Section 13(2):

Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor, Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

III. NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director –

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) If he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11:

- (1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) or Cl. (d) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- (3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalised bank of which is a director.
- (4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected director

Clause 11A:

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected director

Clause 11B:

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8):

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. CENTRAL BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

Exercise of rights of joint holders

Regulations 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards, voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Director to be elected at general meetings

Regulations 63:

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of The Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulations 64:

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulations 65:

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless –



- (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the The Bank;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of The Bank and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company.
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized bank, that he accepts nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for meeting.

Scrutiny of nominations

Regulations 66:

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to valid, the same shall be rejection after specifying the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulations 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the The Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the The Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election, or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Determination of voting rights –

Regulations 68:

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

(Explanation _ For this Chapter, "Company" means any body corporate)

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulations 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government / company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

V. Notification No. DBOD. No. BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01st November 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The Nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the Fit and Proper status with regards to educational qualification, experience and field expertise, track Specified and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board.



TOTAL BUSINESS												
(₹ in Crores)												
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323
YoY Growth		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839
YoY Growth		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484
YoY Growth		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295
YoY Growth		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%
CD Ratio	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44	51.57%	60.20%
Return on Assets	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)

PROFITABILITY												
(₹ in Crores)												
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16	MAR. 17	MAR. 18
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659
YoY Growth		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926
YoY Growth		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733
YoY Growth		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)
Net Profit/Loss	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)
YoY Growth		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	----	----	----
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.78	2.51	2.47
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517
YoY Growth		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623
YoY Growth		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)



DIRECTORS' REPORT 2017-18

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2018.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank stood at ₹ 472323 crore as at March 31, 2018 compared to ₹ 449679 crore as at March 31, 2017.
- ❖ Total Deposits stood at ₹ 294839 crore in March 31, 2018 as against ₹ 296671 crore in March 31, 2017.
- ❖ Total Advances of the Bank increased to ₹ 177484 crore in March 31, 2018 as against ₹ 153008 crore in March 31, 2017 registering y-o-y growth of 16%.
- ❖ Total Income for the financial year ended March 31, 2018 was ₹ 26659 crore as compared to ₹ 27537 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- ❖ Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 2623 crore for the financial year ended March 31, 2018 compared to ₹ 2876 crore for the financial year ended March 31, 2017.
- ❖ Operating Profit of the Bank stood at ₹ 2733 crore for the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 3089 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2017.
- ❖ The Bank has incurred Net Loss of ₹ 5105 crore for the Financial Year ended March 31, 2018 as compared to Net Loss of ₹ 2439 crore during previous financial year ended March 31, 2017 primarily due to higher NPA provisions, higher slippages/ ageing and additional provision in NCLT accounts, significant decline in Trading Profit on Investments, decline in net interest income etc.
- ❖ Expenses on employees decreased by ₹ 230 crore during the financial year ended March 31, 2018 to ₹ 3984 crore from ₹ 4214 crore in the previous financial year ended March 31, 2017.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 9.46% with Tier I at 5.50% and Tier II 3.96% for the financial year ended March 31, 2018. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 9.04% with Tier I at 7.01% and Tier II 2.03% for the financial year ended March 31, 2018.
- ❖ Net worth stood at ₹ 14845 crore.
- ❖ Cash Recovery increased to ₹ 2403 crore in the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 2378 crore in the previous financial year ended March 31, 2017.
- ❖ Gross NPA to Gross Advances stood at 21.48% as on March 31, 2018 as against 17.81% as on March 31, 2017.
- ❖ Net NPA to Net Advances stood at 11.10% as on March 31, 2018 as against 10.20% as on March 31, 2017.
- ❖ Provision Coverage Ratio improved to 63.31% as on March 31, 2018 from 58.43% as on March 31, 2017.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) stood at 2.47% in the Financial Year ended March 31, 2018.
- ❖ Business per Employee stood at ₹ 12.71 crore in the Financial Year ended March 31, 2018.
- ❖ Return on Assets (ROA) is (1.61)% for the Financial Year ended March 31, 2018.
- ❖ The credit deployment under priority sector increased to ₹ 82834.61 crore during 2017-18, recording a growth of ₹ 9484.37 crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PLSC's worth ₹ 22030 crore under PS Advances and purchased PSLC's worth ₹ 7524.50 crore under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹ 14505.50 crore. Bank also sold IBPC of ₹ 1500 crore under Priority sector advances. In spite of aforesaid sale; Bank's PS lending is in excess by ₹ 6669.28 crore to ANBC.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 30,776 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- ❖ MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2018 stood at ₹ 34,025 crore constituting 19.17% of the total loans and advances.
- ❖ Retail Loans increased by 50.35% to ₹ 48,123 crore in March 2018 from ₹ 32,008 crore in March 2017. Bank had launched intensive programme 'Retail Dhamaka' in December 2017 to boost Retail Credit. Proposals amounting to



₹ 4980 crore were sanctioned during the campaign period.

- ❖ Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 21,392 crore in March, 2018 as against ₹ 12,510 crore in March, 2017, registering y-o-y growth of 71.00%. Housing Loan Portfolio constitutes 44.45% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2018.
- ❖ Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2017-18, the RSETIs conducted 1280 training programmes and imparted training to 33,428 candidates. Out of this, 23403 (i.e.70%) trainees were settled through Bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2018 in 3 states covering 48 districts with a network of 1629 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion, Bank has covered 4,330 villages with population above 2000 and 18,376 villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through 6,387 BC Agents. Bank has opened 177 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 184.19 lakhs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is ₹ 2567 crore as on 31st March, 2018.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 21.42 crore for the financial year ended March 31, 2018.
- ❖ As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2017-18 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2018	31.03.2017	Variation	%
1 INTEREST INCOME	24036	24661	(625)	(2.53)
– Advances	14478	16283	(1805)	(11.09)
– Investments	7138	7372	(234)	(3.17)
– Others	2420	1006	1414	140.56
2 NON INTEREST INCOME	2623	2876	(253)	(8.80)
3 TOTAL INCOME (1+2)	26659	27537	(878)	(3.19)
4 INTEREST EXPENDED	17519	18087	(568)	(3.14)
– Deposits	16222	17330	(1108)	(6.39)
– Others	1297	757	540	71.33
5 OPERATING EXPENSES	6407	6361	46	0.72
– Establishment	3984	4214	(230)	(5.46)
– others	2423	2147	276	12.86
6 TOTAL EXPENSES (4+5)	23926	24448	(522)	(2.14)
7 SPREAD (1-4)	6517	6574	(57)	(0.87)
8 OPERATING PROFIT (3-6)	2733	3089	(356)	(11.52)
9 PROVISIONS	7838	5528	2310	41.79
10 PROVISIONS FOR TAX	(2791)	(1090)	(1701)	156.06
11 NET PROFIT/(LOSS)	(5105)	(2439)	(2666)	-----

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 7838 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2017-18 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2018	31.03.2017	Variation
Provisions for Standard Assets	7	(164)	171
Provisions for NPAs	10543	6216	4327
Provisions for Restructured Accounts	(951)	321	(1272)
Provision on Investments	799	300	499
Provisions for Taxes	(2791)	(1090)	(1701)
Others	231	(55)	286
TOTAL	7838	5528	2310

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2018	31.03.2017
Cost of Deposits	5.53	6.20
Cost of Funds	5.79	6.27
Yield on Advances	8.31	9.01
Yield on Investments	7.14	7.38
Net Interest Margin	2.47	2.51
Cost to Income Ratio	70.10	67.31

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2018	31.03.2017
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	7.59	8.10
Non-Interest Income to AWF	0.83	0.94
Operating Profit to AWF	0.86	1.01
Return on Average Assets	(1.61)	(0.80)
Business Per Employee (₹ in crore)	12.71	11.81
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(13.86)	(6.49)

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2018		31.03.2017	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	5.50	7.01	6.87	8.62
Tier-II	3.96	2.03	3.50	2.33
Capital Adequacy Ratio	9.46	9.04	10.37	10.95

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 5105 crore during the financial year ended March 31, 2018. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2017-18.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Dr. Saurabh Garg ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 16th August, 2017 in terms of Notification of Ministry of Finance, Government of India.
- ❖ Shri Govind Mohan was appointed as Government of India Nominee Director of the Bank w.e.f 17th August, 2017 vide Government of India Notification dated 17th August, 2017.
- ❖ Shri B. S. Shekhawat was appointed as Executive Director of the Bank w.e.f 09th October, 2017 for a period of 3 years.
- ❖ Prof (Dr.) Atmanand was appointed as Part time Non Official Director of the Bank for a period of 3 years w.e.f. 27th December, 2017.
- ❖ Shri Supratim Bandyopadhyay ceased to be Shareholder Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 17th March, 2018 consequent upon his appointment as Whole-time Member (Finance) in Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Dr. Saurabh Garg and Shri Supratim Bandyopadhyay who ceased to be the directors of the Bank during the Financial Year 2017-18.

8.1 Government of India, Ministry of Finance, vide Notification dated 14th May 2018 has nominated Dr. Bhushan Kumar Sinha, Economic Adviser, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, as Government Nominee Director in place of existing Government Nominee Director- Shri Govind Mohan, on the Board of our Bank with immediate effect (i.e. with effect from 14th May 2018) and until further orders. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of Indian Economic Service. Presently he is posted as Economic Adviser in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before joining DFS in May 2018, Dr Sinha had a three year stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM). Dr. Sinha holds a Master's degree in Business Administration (MBA) from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia and a Ph.D from the Department of Financial Studies, University of Delhi.

8.2 Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services vide notification dated 23rd May 2018 has appointed Shri Tapan Ray as Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman in Central Bank of India for a period of three years from the date of notification of his appointment (i.e. with effect from 23rd May 2018), or until further orders, whichever is earlier. Shri Tapan Ray retired as Secretary (Corporate Affairs), Government of India after 35 years in the Gujarat cadre of the IAS. He has a Degree in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Technology, Delhi. He is also a Post Graduate in Public Policy from the Woodrow Wilson School, Princeton University USA, and a Master of Public Administration from the Maxwell School, Syracuse University, USA. He also holds degrees in Law and International Trade. He has served in the Ministries of Defence, Textiles, Power, Science & Technology, Information Technology and Planning in the Government of India. He has been Principal Secretary in the Finance Department in Gujarat. Shri Ray has a wide corporate experience of over 12 years in various companies of Government of Gujarat as well as Government of India. He has been the Managing Director of the Gujarat State Petroleum Corporation and its group companies for about 5 years. As Secretary (Corporate Affairs), he has served on the Board of SEBI.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising out of the PCA will help in improving overall performance of the Bank.

11. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in). Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary at the Head Office of the Bank.

12. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2018:

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31, 2018;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis;
- ❖ Internal Financial Control are adequate and were operating effectively; and
- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

13. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

14. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajeev Rishi

Managing Director & Chief Executive Officer

Place : Mumbai

Date : May 25, 2018



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global economy picked up to grow by 3.8% in 2017 from 3.2% in 2016 and expected to maintain momentum in 2018 supported by both advanced and emerging economies. The advanced economies grew by 2.3% in 2017 from 1.7% in 2016. Among the advanced economies; the US had grown by 2.3% in 2017 from 1.5% in 2016. There is a broad based improvement in the macro parameters in US. Inflation picked up in the US in 2017 and reached a level of 2.1%. US Fed continued its monetary tightening cycle with gradual rate hikes. In the Euro Area; real GDP grew by 2.3% in 2017. Inflation in the region increased by 1.5% in 2017. Both gross capital formation and industrial production increased in 2017 from the previous year. Japan's GDP grew by 1.7% in 2017. Export rose by 6.8% in 2017 on the back of favourable domestic currency. Domestic demand had been on the rise with increase in private consumption. Among the emerging economies, Chinese GDP grew by 6.9% in 2017; higher than the previous year as the country moves on the path to reduce financial leverage. Inflation moderated to 1.6% in 2017. Investment in fixed asset increased by 7.2% in 2017. Retail sales of consumer goods increased by 9.4% in 2017. Russian economy bounced back in 2017 to grow by 1.5% after contraction in two straight years. Brazilian economy grew by 1% in 2017. Global factors such as interest rate cycle in the US may impact the emerging economies like India on capital flows, exchange rate, etc. Rising oil prices also have impact on India's macro parameters.

Changing Banking Scenario

Credit growth in the banking industry has been increasing gradually after demonetisation. The credit to deposit ratio also improved in FY18. However, the stressed corporate balance sheets have not let the credit growth to take off to desired level. Asset quality has remained a cause of concern for the banking industry. RBI has put several public sector banks under Prompt Corrective Action framework to refrain from a few riskier activities and preserve capital to strengthen their balance sheets. The bank recapitalization plan announced by the government is a welcome move to adequately capitalize India's public sector banks. In October 2017, the government announced ₹ 2.11 trillion for recapitalization of which ₹ 1.35 trillion was to be raised by recapitalization bonds.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK BUSINESS

As on 31st March 2018, the Total Business of the Bank was ₹ 472323 crore, registering a growth of 5.04% from the previous year figure of ₹ 449679 crore. High Cost Deposits have been reduced to ₹ 850 crore as on March 31, 2018 from ₹ 13356 crore as on March 31, 2017.

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 2733 crore for the financial year ended March 31, 2018 as compared to ₹ 3089 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2017. The Bank posted a Net loss of ₹ 5105 crore in 2017-18 as against loss of ₹ 2439 crore in previous year on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2018 stood at ₹ 294839 crore, after reduction of High Cost Deposits to the extent of ₹ 850 crore. Saving Bank Deposits increased to ₹ 110509 crore with a growth of 7.18% in 2017-18 from ₹ 103102 crore in previous year and Current Deposits increased to ₹ 14687 crore in 2017-18 from ₹ 13207 crore in 2016-17. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 42.46% as against 39.20% during the previous year. Core Term Deposits grew by 3.77% to reach the level of ₹ 293989 crore in 2017-18 from ₹ 283315 crore in 2016-17.

STRATEGY AND PROGRESS OF IND AS IMPLEMENTATION IN THE BANK

As per the original Roadmap announced by the Ministry of Corporate Affairs, all Banks (except RRBs) are required to prepare their Financial Statements according to Ind AS for accounting period beginning from April 1, 2018 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2018 or thereafter. On April 5, 2018, the RBI in their Statement on Development and Regulatory Policies stated that necessary legislative amendments to make the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, 1949, are under consideration of the Government. In view of this and also level of preparedness of many Banks, implementation of Ind AS in Banks has been deferred by RBI for one year by when the necessary legislative changes are expected. Hence, the revised timelines to implement Ind AS in Banks is from April 1, 2019 onwards with comparatives for the period ending March 31, 2019 or thereafter.

The Bank has engaged services of an Ind AS Consultant, constituted Core Ind AS Team and commenced the process of Ind AS implementation. A Steering Committee headed by an Executive Director has been constituted to monitor the progress. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically reviews the progress of Ind AS implementation. As instructed by RBI, the Bank has submitted the Proforma Ind AS Financials for September 2016 and June 2017.

CREDIT

Gross Advances have increased (net of IBPC impact) by ₹ 3600 crore to ₹ 177484 crore as on March 31, 2018 as against ₹ 153008 crore as on March 31, 2017, reflecting a growth of 2.07% on Y-o-Y basis.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.

PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive.

The credit deployment under priority sector increased to ₹ 82834.61 crore during 2017-18, recording a growth of ₹ 9484.37 Crore over previous year. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PLSC's worth ₹ 22030 Cr under PS Advances and purchased PSLC's worth ₹ 7524.50 Cr under MSME portfolio. Thus, net Sale as at the close of FY was ₹ 14505.50 Crore. Bank also sold IBPC of ₹ 1500 Crore under Priority sector advances. In spite of aforesaid sale; Bank's PS lending is in excess by ₹ 6669.28 Cr to ANBC.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes was ₹ 48123 crore as on 31.03.2018. The Retail portfolio of the Bank was around 27% of its total advances. Retail grew by 50.35% over previous year. In order to give boost to Retail credit - an aggressive campaign-Retail Dhamaka was launched during the month of December 2017. The objective was to achieve new sanctions of ₹ 3968 crore and increase in outstanding by ₹ 2000 crore. During the campaign period an amount of ₹ 4979 crore was sanctioned with achievement index of 125%. Against the envisaged staff participation of 25%, actual participation was 29%. 40% of branches have achieved the targeted sanctions. All branches of the Bank have participated in the programme with 100% activation.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 83 Authorized Dealer ('B' category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- ❖ As on 31.03.2018 the Export Credit portfolio of the Bank is ₹ 5694 crore in comparison to ₹ 5452 crore as on 31.03.2017; an increase of 4.44% over previous year.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 42,332 crore in FY 2017-18 as against ₹ 38,269 crore in FY 2016-17.
- ❖ NRE Deposits increased from ₹ 4,457 crore as on 31.03.2017 to ₹ 4764 crore as on 31.03.2018; an increase of 6.89% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 217.86 million as on 31.03.2017 to USD 220.83 million as on 31.03.2018; an increase of 1.36% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- ❖ The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 1,05,294 crore (Including Non-SLR, Non-Transferable Govt of India Recapitalisation Bond ₹ 4835 crore) as on 31st March 2018 as against ₹ 93,792 crore as on 31st March 2017 thereby recording an increase of 12.33% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.40% as on 31st March 2018 vis-à-vis 6.66% on 31.03.2017.
- ❖ RBI reduced the Repo rates in FY 2017-18 by 0.25% to 6.00% and narrowed the policy rate corridor from 0.5% to 0.25%. Thus the Bank rate reduced to 6.25%.

RISK MANAGEMENT

Risk Management systems are well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative



to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

During the year 2017-18, though the Cash Recovery of ₹ 2403 crore, Upgradation of ₹ 785 crore aggregating to ₹ 3188 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (49 accounts of ₹ 50.00 crore and above amounting to ₹ 12685 crore).

The Bank launched "Mission Recovery"- A Special Recovery Campaign during Q4. There was overwhelming response from the field functionaries. Against a target of ₹ 1430 crore for Cash Recovery and Upgradation, Bank achieved ₹ 1404 crore (Cash Recovery + Upgradation) with achievement index of 98%.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers.

Updation/ augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations. Bank has setup a Disaster Recovery Centre and is conducting regular DR Drills as per regulatory guidelines in line with Bank's policy. All Policies and Procedures are also introduced to safeguard the assets of the bank to safeguard interests of the customers. Bank has implemented Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss. Many new functionalities are being implemented as per requirements on an on-going basis.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. The periodicity of Risk Based internal Audit depends upon the specific Risk Rating awarded to the branches. Accordingly 4091 Branches were subjected to RBIA during 2017-18. There were 2255 branches with Medium Risk Rating, 2405 branches with Low Risk Rating and 37 branches with High Risk Rating as on 31.03.2018. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk category.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2018, Bank has network of 4685 branches, 4886 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. Bank is having pan India presence covering all 29 States, 5 out of 6 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 626 Districts out of 707 districts in the country.

OPERATIONS

- ❖ Bank's expanded modernized Call Center is providing out bound call Facility for promotion of products / reminders to customers reg. overdues in their loan accounts etc. in addition to Inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers.
- ❖ Online subscription facility for Sovereign Gold Bonds is made available to the customers.
- ❖ New pension software -GBM-Pension Module has been introduced to improve speed, accuracy and security in pension processing system, it will provide SMS to pensioners regarding details of payment and prompt revisionary benefits.
- ❖ As per Road Map for Banking Reforms of GOI , the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF - Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.
- ❖ SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch.
- ❖ Now Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme /Sukanya Samridhi Aaccounts /KVP in any of the branch of their choice.
- ❖ Complaints of the customers are resolved promptly, disposal time has been reduced to eleven days.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Utility Kiosks, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train, Shikaras, Catamarans branding etc. were done in addition to the sponsorship of Local Sports/Yatras/Events/Kisan Camps/Conferences at the field level. To support these activities Local Cable, FM Radio, Mobile App, Ads in Cinemas were also used.

VIGILANCE

A study was conducted in 49 Centralised Credit Processing Cells [CCPCs] which have been set up in the bank to process and sanction loans under selective retail lending schemes. The purpose was to know the infrastructure available, availability of trained man power to handle the processing/sanctioning the retail loans, control and review mechanism etc to identify weaknesses and for making suggestions for improvements.

The concurrent audit is one of the systems for detecting mistakes and a study was conducted to understand the effectiveness of concurrent audit system: accordingly suggestions were given to review the work done by the concurrent auditors.

“**Vigilance Awareness Week 2017**”:As per the directives received from CVC, “Vigilance Awareness Week 2017 was observed by bank from 30.10.2017 to 04.11.2017 in the right spirit and in line with this years’ theme “My Vision- Corruption free India”. On 30.10.17 pledge was administered to the staff working at various departments of Central Office. Similar functions were also arranged at all the 13 Zonal Offices, 59 Regional Offices and the Branches of the bank and Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
MANPOWER:

At the end of March-2018, the staff strength of the Bank stood at 36,843 as against 37,044 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	Mar-17	Mar-18
Officers	16247	17166
Clerks	13001	12300
Sub-staff	7796	7377
Grand Total	37044	36843

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES
i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- ❖ Owned funds stood at ₹ 100.67 crore as on March 31, 2018.
- ❖ During the financial year ended March 31, 2018, the total advances of the company stood at ₹ 1264.82 crore as against ₹ 1322.62 Crores as on March 31, 2017.
- ❖ The Net Profit of the Company have increased from ₹ 11.04 crore for the financial year ended March 31, 2017 to ₹ 16.84 crore for the financial year ended March 31, 2018 registering a Y-o-Y growth of 52.54%.

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit after Tax of ₹ 2.58 crore for the year ended 31 March 2018 against Net Profit of ₹ 2.77 crore in the previous year.



❖ Segment-wise earnings: (Amounts in ₹)

Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Fees from Executor Trusteeship	34,85,414	36,97,765
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,90,70,143	2,69,31,110
Other income (Interest)	2,73,56,199	3,02,88,904
Total	5,99,11,756	6,09,17,779

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- ❖ The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- ❖ Bank's financial year is the calendar year.
- ❖ The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- ❖ As at the end of December 2017, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.
- ❖ Deposits of the Bank have increased by 25.87% and advances have increased by 28.83% over the previous year.
- ❖ Bank has made net profit of Kwacha 109.93 Mio. (₹ 69.84 crore) for the calendar year 2017.
- ❖ During the year the Bank declared dividend for the year 2017. Accordingly, our Bank received dividend of USD 953,838 equivalent to ₹ 6,19,94,7323 on 08/03/2018.

iv. Regional Rural Banks :

We have 3 RRBs as on 31st March 2018 in 3 states covering 48 districts with a network of 1629 branches.

WAY FORWARD

- ❖ Y-o-Y retail growth for FY 2018-19 is estimated at 10.96%. Retail credit to total advance is targeted at 28.58% by the end of FY 2018-19. To give boost to Retail credit, Bank has planned for three aggressive campaigns during the current FY 2018-19.

Sl. No	Camp Type	Tentative period
1	Academic Season	May-July 2018
2	Monsoon Season	June-September 2018
3	Festive Season	September-December 2018

- ❖ Mobile App is being developed to facilitate Branch Managers to take Quick decision on the basis of easy identification of borrower , KYC authentication, Income verification etc. leading to reduction in TAT.
- ❖ Thrust is on Micro Enterprises for achieving Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC. To achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes and Cent Weaver Mudra Scheme.

AWARDS & ACCOLADES

- ❖ During the financial year 2017-18, Bank was awarded for Excellent Performance in SHG Credit Linkage for the Financial Year 2016-17 by Ministry of Rural Development, Government of India.
- ❖ During the Financial Year 2017-18, the Bank was also awarded various prizes for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India.
- ❖ As per the annual report published by Brand Finance, on the world's most valuable Banking Brands 2018 in their February 2018 edition, Our Bank stood at 9th Rank amongst PSU Banks in India and as per the annual ranking of most valuable 500 banking brands our Bank stood on 391th Rank amongst the 500 Banks in the world.
- ❖ As per the "Most Trusted Brands 2017" Survey of Economic Times published in their February 14-20, 2018 Issue, our Bank progressed to 5th position in 2017 against the 6th position in 2016 amongst PSU Banks. As per the same survey under the category of "Best Service Brands" our bank has improved its rank to 17th in 2017 from 20th in the year 2016.
- ❖ Acknowledging the initiatives taken by the bank in Cyber security domain, especially in "Education and Awareness" area, Bank has been awarded with Skoch Order-of-Merit award as well as Skoch Award Gold.



CORPORATE GOVERNANCE

BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

BOARD OF DIRECTORS

- ❖ The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- ❖ The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- ❖ During the year under review i.e. 2017-18, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	– Indo Zambia Bank Ltd. – Exim Bank – Export Credit Guarantee Corporation – Indian Institute of Banking & Finance	Yes
2.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	– Cent Bank Home Finance Ltd. – Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
3.	Shri P Ramana Murthy	Executive Director	From 17.02.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	– Cent Bank Home Finance Ltd. – New India Assurance Co. Ltd.	Yes
4.	Shri B S Shekhawat	Executive Director	From 09.10.2017	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM
5.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014 to 16.08.2017	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR, NOMINATION	NOMINATION TILL 16.08.2017	NIL	No
6.	Shri Govind Mohan	Government of India Nominee Director	From 17.08.2017	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, RC, VC, MRC, HR, NOMINATION	RC, NOMINATION	NIL	Not a Director on the date of AGM
7.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
8.	Shri S. Bandyopadhyay	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015 to 17.03.2018	100	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC, CSC, MRC, HR, LVFC, RCNCB, CRIWD	SRC TILL 17.03.2018 ACB TILL 09.02.2018	NIL	No
9.	Shri K.R. Patel	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC, RMC, MRC, CSC, HR, RCNCB, CRIWD	ITS	FITMEC SERVICES PVT LTD	No

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2018	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2018		Directorship of other Companies as on 31.03.2018	Whether attended last AGM held on 30.06.2017
						Member	Chairman		
10.	Shri N Nityananda	Part Time Non-official Director	From 21.06.2016	NIL	Chartered Accountant	ACB, RMC, LVFC, SRC, CSC, NOMINATION, RCNCB, CRIWD	ACB FROM 05.03.2018	NIL	No
11.	Dr. Atmanand	Part Time Non-official Director	From 27.12.2017	NIL	Economics	MC RMC LVFC NOMINATION	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	–	Management Committee of the Board
ACB	–	Audit Committee of the Board
RMC	–	Risk Management Committee
LVFC	–	Large Value Fraud Committee
CSC	–	Customer Service Committee
ITS	–	Information Technology Strategy Committee
SRC	–	Stakeholders Relationship Committee
RC	–	Remuneration Committee
VIG	–	Vigilance Committee
CAC	–	Credit Approval Committee
HR	–	Human Resources Committee
MRC	–	Monitoring of Recovery Committee
CRC	–	Capital Raising Committee
NOMINATION	–	Nomination Committee
RCNCB	–	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
CRIWD	–	Committee to review the Identification of Wilful Defaulter

The Board of Directors met 14 times during the financial year 2017-18.

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2018, it comprised 7 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 2 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director and one Part Time Non-Official Director, one position remains vacant. The Part-Time are rotated every six months. The Management Committee of the Board met 13 times during the financial year 2017-18.

Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹ 400.00 crore, compromise / write off proposals upto ₹ 10.00 crore, premises proposals upto ₹ 15.00 lacs per annum (Rural Area), upto ₹ 25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹ 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto ₹ 1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery. The Credit Approval Committee met 34 times during the year.

Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2018, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee. During the year, the Audit Committee met 12 times.

Risk Management Committee:

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, Government of India Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The objective of Risk Management Committee of the Board is to evaluate overall risks faced by the Bank and determining the level of risks which will be in the best interest of the Bank and to coordinate with the other risk managing entities to identify, monitor and measure the risk arising out of the Bank's operations. The Committee met 4 times during the year.

Remuneration Committee and Remuneration of Directors:

- ❖ The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two Independent Directors. During the Financial Year 2017-18, no meeting of the Remuneration Committee was held to consider performance linked incentive to Wholetime Directors.
- ❖ The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of ₹ 20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.
- ❖ During the financial year 2017-18, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	₹ in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	30.13
2.	Shri B. K. Divakara (ED)	23.70
3.	Shri P. R. Murthy (ED)	23.54
4.	Shri B. S. Shekhawat (ED)	10.93

- ❖ During the year under review, the Bank has paid ₹ 8,60,000/- (Rupees Eight Lakhs Sixty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 11,20,000/- (Rupees Eleven lacs Twenty thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Nomination Committee :

In terms of the RBI Circulars nos. DBOD. No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with DBOD. No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011, Nomination Committee of the Bank has been constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected director(s)/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act (i.e. Shareholder Director) based on the broad criteria i.e. (i) Educational qualification, (ii) Experience and field of expertise & (iii) Track record and integrity.

During the financial year 2017-18, meeting of the Nomination Committee was held on 28.06.2017 to determine the fit & proper criteria of Shareholder Directors namely - Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel and the committee accorded 'fit and proper status' to Shri S. Bandyopadhyay and Shri Ketul R. Patel who had been elected as a Shareholder Directors under Sec 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years w.e.f. 1st July 2015 to 30th June 2018.

Stakeholders' Relationship Committee:

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Supratim Bandyopadhyay was Chairperson of Stakeholders Relationship Committee (SRC) till 17th March, 2018. However, pursuant to his resignation from the post of Director of the Bank w.e.f close of working hours on 17th March, 2018, the position of Chairperson was vacant. Chairperson of SRC will be selected in the next meeting. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

The details of Investor Grievances for the year 2017-18 (01.04.2017 to 31.03.2018) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	NIL
3	Non Receipt of Dividend Warrants	67
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	51
5	Non Receipt of Refund Order	2
6	Non Receipt of Rejected DRF's	1
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	6
8	Total Grievances received	127
9	Total Grievances attended/resolved	127
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue and Debenture Trustee Activities.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the financial year 2017-18, Bank has raised ₹ 5158.00 crore equity capital (including ₹ 323 crore received by the Bank on 29-12-2017) by issuance and allotment of 65,04,06,299 equity shares (comprising of 3,88,45,460 equity shares at an issue price of ₹ 83.15 per equity share including premium of ₹ 73.15 per equity share aggregating to ₹ 323 crore and 61,15,60,839 equity shares at an issue price of ₹ 79.06 per equity share including premium of ₹ 69.06 per equity share aggregating to ₹ 4835 crore) of the face value of ₹ 10/- each aggregating to ₹ 5158 crore to President of India (Government of India) on preferential basis on 27-03-2018.

The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

General Shareholder Information

11th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Saturday, 30th June, 2018 at 11:00 AM at 9th Floor at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2017-18
2. Date of Book Closure: 27th June 2018 to 30th June, 2018 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2017-18

Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Tenth Annual General Meeting	30th June, 2017 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
2.	Ninth Annual General Meeting	30th June, 2016 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021
3.	Eighth Annual General Meeting	30th June, 2015 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2018-19 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2018

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Total		5155.00	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2018-19 to the Exchange.

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083

Tel: 022-49186270 • Fax: 022-49186060 • Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Abridged Annual Report 2017-18

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer

Central Bank of India,
 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021
 Contact No. 022- 6638 7818 • Fax No.: 022- 2283 5198
 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2018 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	112	135548	0.01
NSDL	83908	325466796	12.43
CDSL*	51362	2292553411	87.56
Total	135382	2618155755	100.00

* As on 27.03.2018, the Bank allotted 65,04,06,299 equity shares in dematerialized mode to President of India (Government of India) on preferential basis which got listed and admitted to dealings on BSE & NSE w.e.f. 06.04.2018.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2018 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	234	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	234	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2017-18.

Place : Mumbai

Date : April 24, 2018

Sd/-

[Rajeev Rishi]

Chairman and Managing Director



C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2018 as stipulated in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulation 2015.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
PARTNER
M.No.507462

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B M AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Delhi

Date: May 17, 2018



LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069	PATHAK H D & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, NEW DELHI-110008	BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI 400 055

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Central Bank of India (the "Bank") as at March 31, 2018 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018 and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these Standalone Financial Statements are the returns of 20 Branches audited by us and 2400 branches audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 2265 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.94 per cent of advances, 21.67 per cent of deposits, 5.16 per cent of interest income and 19.09 per cent of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's Management is responsible for the preparation of these Standalone Financial Statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and circulars issued from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility of the management includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these Standalone Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Standalone Financial Statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Standalone Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the Standalone Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Standalone Financial Statements.
5. We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis for our audit opinion.



Opinion

6. In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- the Balance Sheet, read with significant accounting policies and the notes thereon, is full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - the Cash Flow Statement gives true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and also subject to the limitations of disclosures required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented by the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
9. We further report that:
- the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
PARTNER
M.No.507462

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B M AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018



LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069	PATHAK H D & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, NEW DELHI-110008	BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI 400 055

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged Balance Sheet of Central Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2018, the abridged Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification by Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2018 drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and covered by our Independent Auditors' report dated May 17, 2018, which is attached hereto.

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.301051E

(CA GAURAV LODHA)
 PARTNER
 M.No.507462

For S. K. MEHTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
 PARTNER
 M.No.087002

For PATHAK H D & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
 PARTNER
 M.No.015585

For BORKAR & MUZUMDAR
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No. 101569W

(CA B M AGARWAL)
 PARTNER
 M.No.033254

Place: Delhi
 Date: May 17, 2018



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULARS	As at	As at
	March 31, 2018 (Current Year)	March 31, 2017 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	261,815.57	190,217.10
Reserves & Surplus\		
Statutory Reserves	206,359.79	206,359.79
Capital Reserve (Note 1)	423,938.11	422,264.75
Share Premium	1,699,087.91	1,186,586.39
Revenue and Other Reserves	252,667.72	247,025.13
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	10,000.00	10,000.00
Balance in Profit & Loss a/c.	(1,055,315.76)	(535,639.17)
Total	1,536,737.77	1,536,596.89
Share application Money pending allotment	-	68,300.00
Deposits		
Demand Deposits	1,468,648.68	1,320,712.52
Savings Bank Deposits	11,050,928.92	10,310,249.78
Term Deposits	16,964,308.13	18,036,157.04
Total	29,483,885.73	29,667,119.34
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	-	1,100.53
(b) from other banks	115.34	289,206.64
(c) from other institutions and agencies	41,086.28	69,617.36
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	77,000.00	115,910.00
(e) Upper Tier II bonds	288,500.00	288,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,910.00	13,910.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds	150,000.00	150,000.00
2. Borrowings outside India	-	-
Total [1 & 2]	570,611.62	928,244.53
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	69,186.35	75,023.69
Inter-office adjustments (net)	55,264.39	-
Interest accrued	77,601.43	81,337.57
Provisions towards standard assets	-	-
Deferred Tax Liability (net)	-	-
Others	567,424.66	793,355.29
Total	769,476.83	949,716.55
Total Capital and Liabilities	32,622,527.52	33,340,194.41
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	3,599,990.87	7,508,675.51
Balances with Banks and money at call and short notice		
Balances with Banks in India	11,600.90	15,715.39
Money at call and short notice in India	201,073.48	349,998.52
Balances outside India	110,178.27	2,263.80
Total	322,852.65	367,977.71
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	8,131,713.45	7,407,073.28
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	126,116.55	135,701.32
(d) Debentures and Bonds	1,422,051.98	1,035,124.02
(e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	30,399.87	30,399.87
(f) Others	548,130.52	596,440.45
2. Outside India	4,748.85	4,748.85
Total [1 & 2]	10,263,161.22	9,209,487.79



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2018 (Current Year)	As at March 31, 2017 (Previous Year)
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	121,087.70	162,945.64
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	7,053,098.54	6,589,911.81
(c) Term Loans	8,480,031.47	7,187,019.53
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	15,654,217.71	13,939,876.98
Fixed assets	434,338.11	429,037.40
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	-	30,615.59
Interest accrued	167,855.95	149,252.13
Tax paid in advance/ deducted at source	534,812.35	527,754.62
Deferred Tax Asset (net)	536,803.00	235,368.00
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
Stationery and Stamps	1,998.46	1,793.63
Others	1,106,497.20	940,355.05
Total	2,347,966.96	1,885,139.02
Total Assets	32,622,527.52	33,340,194.41
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	11,039.50	10,905.47
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc.	297,990.58	329,813.81
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	9,283,133.29	5,471,055.65
Guarantees given on behalf of constituents	1,072,501.31	1,117,404.25
Acceptances, endorsements and other obligations	1,230,092.67	1,379,653.86
Other items for which the bank is contingently liable	44,267.73	26,077.60
Liability for Partly paid investments	761.40	1,392.25
Total	11,939,786.47	8,336,302.88
Bills for collection	1,448,606.70	916,893.53

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA GAURAV LODHA)
Partner
M.No.507462

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2018 (Current Year)	For the year ended March 31, 2017 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	1,447,875.36	1,628,341.21
On investments	713,736.32	737,184.85
On balances with RBI and inter-bank funds	205,854.42	63,882.42
Others	36,085.61	36,732.35
Total	2,403,551.71	2,466,140.83
Other income		
Commission, exchange and brokerage	126,247.51	92,929.44
Net profit on sale of investments	57,667.55	154,165.57
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(449.82)	(124.21)
Net profit on exchange transactions	14,090.54	16,906.88
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	1,009.72	1,281.58
Miscellaneous income	63,669.63	22,405.14
Total	262,235.13	287,564.40
Total income	2,665,786.84	2,753,705.23
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	1,622,268.90	1,733,039.66
On RBI/ inter-bank borrowings	457.04	370.22
Others	129,124.85	75,329.70
Total	1,751,850.79	1,808,739.58
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	398,337.03	421,431.17
Rent, taxes and lighting	47,467.38	44,604.06
Printing and stationery	3,626.98	4,378.60
Advertisement and publicity	2,414.56	3,332.85
Depreciation on bank's property	26,030.90	25,737.12
Director's fees, allowances and expenses	106.22	81.60
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	1,985.92	2,991.63
Law charges	1,712.72	1,998.25
Postage, telegrams, telephones etc.	6,634.47	4,693.46
Repairs and maintenance	11,327.48	12,074.55
Insurance	35,717.63	32,534.11
Others	105,275.60	82,245.38
Total	640,636.89	636,102.78
Total Expenses	2,392,487.68	2,444,842.36



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULARS	For the year ended March 31, 2018 (Current Year)	For the year ended March 31, 2017 (Previous Year)
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	(46,075.30)	39,443.86
Provision towards non performing assets	1,054,358.12	653,670.00
Provision towards standard assets	(94,431.20)	(16,381.49)
Others (excluding income taxes)	149,044.28	(14,979.73)
Total	1,062,895.90	661,752.64
Total expenses and provisions	3,455,383.58	3,106,595.00
Profit/(loss) before Prior period item and tax	(789,596.74)	(352,889.77)
Less: Prior period Item	-	-
Profit/(Loss) after exceptional/Prior period Item before Tax	(789,596.74)	(352,889.77)
Current tax	22,328.00	-
Deferred tax	(301,435.00)	(108,980.00)
Profit/(loss) after tax	(510,489.74)	(243,909.77)
Profit/ Loss brought forward	(535,639.17)	(253,355.57)
Total	(1,046,128.91)	(497,265.34)
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	-	-
Investment Reserve	9,186.85	38,373.83
Staff Welfare Fund	-	-
Revenue Reserves	-	-
Proposed Dividend - Preference Capital	-	-
Proposed Dividend - Equity Capital	-	-
Fund in lieu of Insurance	-	-
Dividend Tax	-	-
Balance carried forward to balance sheet	(1,055,315.76)	(535,639.17)

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA GAURAV LODHA)
Partner
M.No.507462

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Delhi

Date: May 17, 2018



NOTES TO ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

1. Basis of Preparation:

The abridged Financial Statements have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2018 (hereinafter referred to as 'Annual Standalone Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank are contained in Schedule 17 of the 'Annual Standalone Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Annual Standalone Financial Statements.

(B S SHEKHAWAT)
Executive Director

(P. RAMANA MURTHY)
Executive Director

(B.K. DIVAKARA)
Executive Director

(RAJEEV RISHI)
Chairman & Managing
Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

Place : Delhi
Date : May 17 , 2018



CENTRAL BANK OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2018	31- 03- 2017
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	(7,895.97)	(3,528.90)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	260.31	257.37
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	794.17	394.42
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	9,564.62	6,215.97
	Provision for Standard Assets	6.31	(163.81)
	Provision for Other items (Net)	263.86	170.95
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	4.50	1.24
	Dividend Received from Subsidiaries	(10.10)	(12.82)
	Sub total	2,987.70	3,334.42
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	(1,832.33)	30,487.00
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(3,576.33)	657.56
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(1,835.07)	(2,511.47)
	(Increase) / Decrease in Advances	(26,708.03)	34,394.85
	(Increase) / Decrease in Investments	(11,330.90)	(3,621.76)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,807.22)	197.62
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(293.85)	(1,090.91)
	Sub total	(47,383.73)	58,512.89
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(44,396.03)	61,847.31
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	4.12	3.06
	Purchase of Fixed Assets	(314.25)	(191.53)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	10.10	12.82
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(300.03)	(175.65)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	5,158.00	1,453.79
	Share Application Money	-	100.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	5,158.00	1,553.79
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(39,538.06)	63,225.45



CENTRAL BANK OF INDIA CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2018	31- 03- 2017
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR			
	Cash and Bank Balance with RBI	75,086.76	14,069.51
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,679.74	1,471.54
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	78,766.50	15,541.05
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR			
	Cash and Bank Balance with RBI	35,999.91	75,086.76
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,228.53	3,679.74
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	39,228.44	78,766.50

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA GAURAV LODHA)
Partner
M.No.507462

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Delhi
Date: May 17, 2018

LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069	PATHAK H D & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, NEW DELHI-110008	BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI 400 055

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To

The Board of Directors of Central Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Central Bank of India (the "Parent Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") and share of profit or loss of its associates at March 31, 2018 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2018 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated financial statements of Parent Bank, It's two subsidiaries and four associates.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group and its associates in accordance with the requirement of Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines and recognized accounting policies and practices, including the applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

1. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
2. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's and its associates' preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's and its associates' internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated Financial Statements.
3. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.



Opinion

Based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted in Other Matter paragraph below, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2018;
- (ii) in the case of Consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date of the Group and its Associates ; and
- (iii) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Other Matters

- (i) We did not audit the financial statements incorporated in the Consolidated Financial Statements of two subsidiaries whose financial statement reflect total assets of ₹ 1375.29 crore as at March 31, 2018, total revenue of ₹ 156.64 crore and net cash outflows of ₹ 9.80 crore for the year ended on that date and for two associates reflecting the share of net loss of ₹ 54.44 crore for the year ended March 31, 2018.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

- (ii) In case of an associates Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, the share of profit of ₹ 1.07 crore is based on unaudited financial statement as furnished by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to amount included in respect of this associate is based on unaudited financial statements.
- (iii) In case of an associate Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year, share in profit has been taken for nine months ended December 31, 2017 based on audited financial statements for the calendar year ended December 31, 2017 and profit for three months ended March 31, 2018 is taken based on unaudited financial statements as furnished by the management. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to share of profit of ₹ 15.33 crore included in respect of this associate is based on these financial statements for the year ended March 31, 2018.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.301051E

(CA H.K. VERMA)
PARTNER
M.No.055104

For S. K. MEHTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
PARTNER
M.No.087002

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
PARTNER
M.No.015585

For BORKAR & MUZUMDAR
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 101569W

(CA B M AGARWAL)
PARTNER
M.No.033254

Place: Mumbai

Date: May 25, 2018



LODHA & CO. Chartered Accountants, 14 Government Place East KOLKATA-700069	PATHAK H D & ASSOCIATES Chartered Accountants, 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI- 400021
S. K. MEHTA & CO. Chartered Accountants, 504, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place, NEW DELHI-110008	BORKAR & MUZUMDAR Chartered Accountants, 21/168 Anand Nagar Om CHS, Anand Nagar Lane, Off Nehru Road, Vakola, Santacruz East, MUMBAI 400 055

To the Boards of Directors of Central Bank of India

We have examined the attached abridged consolidated Balance Sheet of Central Bank of India (the "Parent Bank") & its subsidiaries (collectively known as "Group") & Associates as at March 31, 2018, the abridged consolidated Profit and Loss Account annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Consolidated Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited consolidated financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2018 prepared by the Parent Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard – 21, 'Consolidated Financials Statements' and Accounting Standard 23 – 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financials Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and covered by our report dated May 25, 2018 to the Board of Directors of the Parent Bank, which is attached hereto.

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.301051E

(CA H. K. VERMA)
 PARTNER
 M.No. 055104

For S. K. MEHTA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000478N

(CA JYOTI BAGGA)
 PARTNER
 M.No.087002

For PATHAK H D & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R.No.107783W

(CA B.P. CHATURVEDI)
 PARTNER
 M.No.015585

For BORKAR & MUZUMDAR
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No. 101569W

(CA B M AGARWAL)
 PARTNER
 M.No.033254

Place: Mumbai
 Date: May 25, 2018



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India

PARTICULARS	(Amount in lakh)	
	As at March 31, 2018 (Current Year)	As at March 31, 2017 (Previous Year)
CAPITAL & LIABILITIES		
Capital	2,61,815.58	1,90,217.10
Reserves & Surplus		
Statutory Reserves	2,07,591.31	2,07,591.31
Capital Reserve	4,23,938.12	4,22,264.76
Share Premium	16,99,087.91	11,86,586.39
Revenue and Other Reserves	2,49,182.68	2,43,297.23
Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	12,309.15	11,737.69
Balance in Profit & Loss a/c.	(10,32,878.65)	(5,08,851.64)
Total	15,59,230.52	15,62,625.74
Minorities Interest	3,980.88	3,462.26
Share application money pending allotment	-	68,300.00
Deposits		
Demand Deposits	14,67,817.85	13,19,677.47
Savings Bank Deposits	1,10,50,928.92	1,03,10,249.78
Term Deposits	1,70,16,701.98	1,81,00,995.41
Total	2,95,35,448.75	2,97,30,922.66
Borrowings		
1. Borrowings in India		
(a) From Reserve Bank of India	-	1,100.53
(b) from other banks	29,071.91	3,20,392.49
(c) from other institutions and agencies	41,086.28	69,617.36
(d) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	80,000.00	1,18,810.00
(e) Upper Tier II bonds	2,88,500.00	2,88,500.00
(f) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,910.00	13,910.00
(g) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	1,50,000.00	1,50,000.00
2. Borrowings outside India	-	-
Total [1 & 2]	6,02,568.19	9,62,330.38
Other Liabilities & Provisions		
Bills payable	69,186.35	75,023.69
Inter-office adjustments (net)	55,264.39	-
Interest accrued	77,601.43	81,034.68
Provisions towards standard assets	50,046.50	54,463.58
Deferred Tax Liability (net)	-	-
Others	5,19,787.27	7,41,112.20
Total	7,71,885.94	9,51,634.15
Total Capital and Liabilities	3,27,34,929.86	3,34,69,492.29
ASSETS		
Cash and balance with Reserve Bank of India	36,00,011.96	75,08,718.01
Balances with banks and money at call and short notice		
Balances with banks in India	14,977.23	18,516.49
Money at call and short notice in India	2,01,073.48	3,49,998.52
Balances with banks outside India	684.27	2,263.80
Money at call and short notice outside India	1,09,494.00	-
Total	3,26,228.98	3,70,778.81
Investments		
1. In India		
(a) Government Securities	81,34,689.49	74,10,049.32
(b) Other approved securities	-	-
(c) Shares	1,26,116.55	1,35,701.32
(d) Debentures and Bonds	14,22,051.98	10,35,124.02
(e) Investments in Associates	32,443.10	37,779.72
(f) Others	5,48,280.52	5,96,440.45
2. Outside India	13,364.83	12,561.29
Total [1 & 2]	1,02,76,946.47	92,27,656.12



Abridged Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India

(Amount in lakh)

PARTICULARS	As at March 31, 2018 (Current Year)	As at March 31, 2017 (Previous Year)
Advances		
1. In India		
(a) Bills purchased and discounted	1,21,087.70	1,62,945.64
(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	70,67,854.03	66,03,962.48
(c) Term loans	85,59,010.93	72,79,488.30
2. Outside India	-	-
Total [1 & 2]	1,57,47,952.66	1,40,46,396.42
Fixed assets	4,34,396.44	4,29,104.04
Other assets		
Inter-office adjustments (net)	-	30,615.61
Interest accrued	1,68,330.27	1,49,452.08
Tax paid in advance/ deducted at source	5,35,020.38	5,28,211.30
Deferred Tax Asset (net)	5,35,758.50	2,34,436.16
Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
Stationery and Stamps	1,998.46	1,793.63
Others	11,07,396.78	9,41,441.15
Total	23,48,504.39	18,85,949.93
Goodwill on Consolidation	888.96	888.96
Total Assets	3,27,34,929.86	3,34,69,492.29
Contingent Liabilities		
Claims against the bank not acknowledged as debts	11,064.50	10,930.47
Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc	2,98,420.36	3,30,243.59
Liability for partly paid investments	761.40	1,392.25
Liability on account of outstanding forward exchange contracts	92,83,133.29	54,71,055.65
Guarantees given on behalf of constituents	10,72,501.31	11,17,404.25
Acceptances, endorsements and other obligations	12,30,092.67	13,79,653.86
Other items for which the bank is contingently liable	44,292.73	26,102.59
Total	1,19,40,266.26	83,36,782.66
Bills for collection	14,48,606.70	9,16,893.53

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA H. K. VERMA)
PARTNER
M.No. 055104

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Mumbai
Date: May 25, 2018

Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULAR	For the year ended March 31, 2018 (Current Year)	For the year ended March 31, 2017 (Previous Year)
Income		
Interest earned		
On advances/ bills	14,60,094.58	16,39,170.64
On investments	7,14,270.65	7,37,679.56
On balances with RBI and inter-bank funds	2,05,854.42	63,882.42
Others	36,091.99	36,763.37
Total	24,16,311.64	24,77,495.99
Other income		
Commission, exchange and brokerage	1,26,573.07	93,235.73
Net profit on sale of investments	57,667.55	1,54,165.57
Net profit on sale of land, buildings and other assets	(449.17)	(124.12)
Net profit on exchange transactions	14,090.54	16,906.88
Income by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/ in India	-	-
Miscellaneous income	64,158.77	22,931.79
Total	2,62,040.76	2,87,115.85
Total income	26,78,352.40	27,64,611.84
Expenditure		
Interest expended		
On deposits	16,22,075.41	17,32,720.28
On RBI/ inter-bank borrowings	9,110.46	8,430.86
Others	1,29,146.24	75,493.89
Total	17,60,332.11	18,16,645.03
Operating expenses		
Payments to and provisions for employees	3,99,004.72	4,22,120.11
Rent, taxes and lighting	47,661.50	44,795.01
Printing and stationery	3,638.88	4,388.70
Advertisement and publicity	2,418.20	3,339.11
Depreciation on bank's property	26,049.89	25,769.28
Director's fees, allowances and expenses	139.30	115.19
Auditor's fee and expenses (including branch auditors)	2,010.56	3,023.44
Law charges	1,860.76	2,164.89
Postage, telegrams, telephones etc.	6,654.75	4,717.12
Repairs and maintenance	11,337.62	12,082.21
Bad Debts Written Off	7.31	51.30
Insurance	35,720.72	32,538.27
Others	1,06,042.76	82,722.69
Total	6,42,546.97	6,37,827.32
Provisions and contingencies		
Provisions for depreciation on investment	79,417.00	39,443.86
Provision towards non performing assets	9,56,664.69	6,21,953.13
Provision towards standard assets	551.10	(16,297.82)
Others (excluding income taxes)	26,396.04	17,291.04
Total	10,63,028.83	6,62,390.21
Total expenses and provisions	34,65,907.91	31,16,862.56



Abridged Consolidated Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2018

(Amount in lakh)

PARTICULAR	For the year ended March 31, 2018 (Current Year)	For the year ended March 31, 2017 (Previous Year)
Profit/(loss) before Prior period item and tax	(7,87,555.51)	(3,52,250.72)
Less: Prior period item	(30.43)	(58.65)
Profit/(loss) after Prior period item before tax	(7,87,585.94)	(3,52,309.37)
Current tax	23,310.69	686.17
Deferred tax	(3,01,339.56)	(1,08,807.73)
Profit/(loss) after tax	(5,09,557.07)	(2,44,187.81)
Add: Share of earnings in Associates	(3,803.86)	(1,490.23)
Less Minority Interest	(599.36)	(258.06)
Less: Profit pre Acquisition	-	-
Group Profit	(5,13,960.29)	(2,45,936.10)
Profit/ Loss brought forward	(5,08,851.64)	(2,23,690.74)
Less Decrease in brought forward Consolidated Profit due to transfer of Investment in Associates	-	-
Total	(10,22,811.93)	(4,69,626.84)
Appropriations		
Transfer to :		
Statutory Reserve	-	-
Investment Reserve	9,186.85	38,373.83
Staff Welfare Fund	-	-
Revenue Reserves	242.86	120.81
Proposed Dividend - Preference Capital	-	-
Proposed Dividend - Equity Capital	-	-
Fund in lieu of Insurance	-	-
Dividend Tax	65.55	57.11
Special Reserve u/s 36 (1) (viii)	571.46	383.22
Appropriation of DTL on spe. Reser. as per NHB guidelines	-	272.12
CSR Reserves as per companies Act	-	17.71
Balance carried forward to balance sheet	(10,32,878.65)	(5,08,851.64)

B.S. SHEKHAWAT
 Executive Director

P.RAMANA MURTHY
 Executive Director

B.K. DIVAKARA
 Executive Director

RAJEEV RISHI
 Managing Director & CEO

TAPAN RAY
 Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
 Director

SHEKHAR BHATNAGAR
 Director

KETUL R. PATEL
 Director

N. NITYANANDA
 Director

PROF. (DR.) ATMANAND
 Director

For LODHA & CO.
 Chartered Accountants
 F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
 Chartered Accountants
 F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
 Chartered Accountants
 F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
 Chartered Accountants
 F.R. No. 101569W

(CA H. K. VERMA)
 PARTNER
 M.No. 055104

(CA B.P. CHATURVEDI)
 Partner
 M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
 Partner
 M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
 Partner
 M.No.033254

Place: Mumbai

Date: May 25, 2018



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2018	31- 03- 2017
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before taxes	(7,913.90)	(3,523.09)
I Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	260.50	257.69
Depreciation on investments (including on matured debentures)	794.17	394.44
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	9,566.65	6,219.53
Provision for Standard Assets	5.51	(162.98)
Provision for Other items (Net)	263.96	172.91
(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	4.49	1.24
Sub total	2,981.38	3,359.74
II Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	(1,954.74)	30,622.92
Increase / (Decrease) in Borrowings	(3,597.62)	703.19
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(1,826.94)	(2,561.05)
(Increase) / Decrease in Advances	(26,582.21)	34,211.29
(Increase) / Decrease in Investments	(11,287.07)	(3,569.42)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,808.19)	203.63
Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	(301.02)	(1,099.63)
Sub total	(47,357.80)	58,510.93
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(44,376.42)	61,870.67
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	4.13	3.06
Purchase of Fixed Assets	(314.36)	(191.68)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(310.23)	(188.62)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital (Including Share Premium)	5,158.00	1,453.79
Share Application Money	-	100.00
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(3.25)	(8.75)
Dividend Tax	(0.66)	(1.78)
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	5,154.09	1,543.26
D Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(39,532.56)	63,225.31



CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2018	31- 03- 2017
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	75,087.18	14,070.20
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,707.79	1,499.45
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	78,794.97	15,569.65
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	36,000.12	75,087.18
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	3,262.29	3,707.79
Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	39,262.41	78,794.97

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

B.S. SHEKHAWAT
Executive Director

P.RAMANA MURTHY
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

RAJEEV RISHI
Managing Director & CEO

TAPAN RAY
Chairman

Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHEKHAR BHATNAGAR
Director

KETUL R. PATEL
Director

N. NITYANANDA
Director

PROF. (DR.) ATMANAND
Director

For LODHA & CO.
Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R.No.107783W

For S. K. MEHTA & CO.
Chartered Accountants
F.R. No.000478N

For BORKAR & MUZUMDAR
Chartered Accountants
F.R. No. 101569W

(CA H. K. VERMA)
PARTNER
M.No. 055104

(CA B.P. CHATURVEDI)
Partner
M.No.015585

(CA JYOTI BAGGA)
Partner
M.No.087002

(CA B M AGARWAL)
Partner
M.No.033254

Place: Mumbai

Date: May 25, 2018



Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

11th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 11th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Signature of the Proxy

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Monday, 25th June, 2018, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



नोट्स / Notes

A large area containing numerous horizontal lines, intended for the user to write notes or additional information.


सेन्द्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

11th Annual General Meeting – Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters)	
Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

 Signature of the Member/Proxy/
 Representative Present

Day and Date	Saturday, 30th June, 2018
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021


सेन्द्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

11th Annual General Meeting – Saturday, 30th June, 2018 at 11.00 AM

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
 Proxy/Authorised Representative Present

 Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

